उन्नति

विचार

वर्ष : 12 अंक : 3 जुलाई-सितम्बर, 2007

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार

- स्थानीय विकास के लिए सामुदायिक संगठनों के सशक्तिकरण के लिए क्रमबद्ध कदम 2

आपके लिए

- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष 9

अपनी बात

- रोजगार व शिक्षाः सामाजिक ऑडिट 13
- आदिवासियों के भूमि के अधिकारः 'समता' द्वारा संघर्ष 15

संदर्भ सामग्री 19

गतिविधियाँ एवं भावी कार्यक्रम 24

अपने बारे में 29

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र
बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

विकास, सहभागिता और सशक्तिकरणः बाजार और राज्य की भूमिका

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के जो देश स्वतंत्रत होने लगे थे उनमें आर्थिक विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। इन देशों का मुख्यतः संस्थानवादी इतिहास समान था, परंतु उनके सांस्कृतिक इतिहास में उनकी विकास सम्बंधी मान्यताएं भरपूर मात्रा में मौजूद थी। इसके बावजूद विकास के बारे में सोचा गया तब इस प्रकार विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया कि मानो सभी को एक ही लाठी से हांकने और एक ही दिशा में विकास करने के लिए प्रयत्न करने का निश्चय किया गया हो। इसके परिणाम स्वरूप यह स्वीकार लिया गया कि विकास सम्बंधी एक ही मार्ग है और यह माना गया कि विकास ऊपर से नीचे की ओर धीरे-धीरे आता जाएगा। इस मान्यता के परिणामस्वरूप ही भारत के लिए अधिकांशतः विकास केन्द्रीय तर्ज पर ऊपर से नीचे फेंकने की वस्तु बन गई। स्पष्ट है कि ऐसा फेंका हुआ विकास ठेठ नीचे आम आदमी तक नहीं पहुंचा क्योंकि वह स्वीकारा नहीं गया। उसकी अस्वीकृति का कारण यह था कि वह स्थानीय जरूरतों के अनुसार नहीं था और उसमें लोग भागीदार नहीं थे। लोक भागीदारी अथवा सहभागिता का ख्याल विकास सम्बंधी आयोजन में कुल मिला कर हाल ही में प्रवेश हुआ है। उसके इस प्रवेश ने विकास सम्बंधी समग्र भाषा बदल डाली है। इसीलिए अब स्थानीय विकास को येनकेन प्रकारेण लोक भागीदारी के साथ जोड़ने का प्रयास अधिकांश सरकारें, कम से कम नाम के लिए ही सही, करने लगी हैं।

लोक भागीदारी को अभी तक मात्र लोगों के वित्तीय योगदान के रूप में या उनके श्रमदान के रूप में देखा जाता है। यह तरीका वास्तव में लोगों को विकास में भागीदार बनाने का नहीं है, परंतु विकास में उनका योगदान लेने का है। इससे लोग स्वतः विकास की प्रक्रिया और विकास के फल के मालिक नहीं बन जाते। हकीकत में जब लोगों के पास सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सत्ता तथा निर्णय लेने की क्षमता व अधिकार आएंगे, तभी ऐसा कहा जाएगा कि विकास लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए हुआ है। आजकल बाजार और राज्य लोगों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन पर व्यापक प्रभाव डालने लगे हैं। ऐसी स्थिति में लोग उन दोनों के वर्चस्व से बाहर निकलें और अपने जीवन के बारे में निर्णय स्वयं लेने लगें, तभी सही अर्थ में स्वराज आया कहलाएगा। देश के गणतांत्रिक बनने से लोग गणतांत्रिक नहीं बन जाते। लोगों को अधिकार व सत्ता मिले या बाजार और राज्य उनके अधिकार और सत्ता का स्वीकार करे, ऐसी व्यवस्थाएं और तंत्र विकसित करना तथा उन्हें सतत मजबूत करना जरूरी है। यह भी जरूरी है कि ऐसी व्यवस्थाओं और तंत्रों की सतत समीक्षा होती रहे तथा वे प्रजाभिमुख बनें व इसके लिए उनमें सतत सुधार होते रहें। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि बाजार या राज्य या उनकी सत्ता के सभी ढांचे नागरिकों के लिए हैं और नागरिक उस ढांचे के लिए अस्तित्व नहीं रखते, यह बात सभी को स्वीकारने की जरूरत है।

स्थानीय विकास के लिए सामुदायिक संगठनों के सशक्तिकरण के लिए क्रमबद्ध कदम

पार्टिसिपेटरी लर्निंग एण्ड एक्शन के जून-२००७ में छपा यह लेख **दिवंगत श्री अनिल शाह** द्वारा उनके निधन के कुछ समय पहले ही लिखा गया था। वे डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर के संस्थापक और बाद में अध्यक्ष-एमिरिट्स थे। अंग्रेजी से अनूदित इस लेख में उन्होंने जलस्राव विकास कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय और सामुदायिक समूहों की अधिकारिता स्थापित करने के तरीकों और विकासोन्मुख संस्था तथा उसके कार्यकर्ता की भूमिका पर ११ कदमों में विशद समीक्षा की है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी विकासोन्मुख कार्यक्रम करने वाली संस्था या उसके कार्यकर्ता के लिए ये कदम महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

प्रस्तावना

सशक्तिकरण (एम्पावरमेंट) अर्थात् स्थानीय समूहों को उनकी अपनी समस्याओं का विश्लेषण करने व उनके ज्ञान और समझ के अनुसार उन समस्याओं के संभावित निवारण पर विचार करने के लिए सक्षम बनाना है। यह उन्हें निरीक्षण करने, विकल्पों पर विचार करने और विकास की सर्वाधिक योग्य रणनीति तथा कार्यक्रम तय करने के लिए सशक्त बनाने वाला होना चाहिए।

विकास की अच्छी प्रक्रिया में लोगों के पास प्राथमिकताएं होनी ही चाहिए। बाहर की संस्था की भूमिका सुलभकर्ता की ही होती है। इसका अर्थ है कि लोग स्वयं अपनी स्थिति का विश्लेषण करें और अस्थायी निवारण खोज निकालें, उससे पहले स्थानीय समूहों के लिए जो अच्छा है, इस बारे में अपने विचार बाह्य संस्था को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से या सूक्ष्म रूप से लादने नहीं चाहिए। इस चरण तक विकास के बाह्य सुलभकर्ता को अर्थात परियोजना का अमल करने वाली संस्था को हल देने या सलाह देने के प्रलोभन को टालना चाहिए।

सशक्तिकरण की प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए ऐसा संयम बरतना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया कार्यक्रम को और टिकाऊ बनाए, ऐसा बनाए कि जिसका संचालन स्थानीय समूहों द्वारा सतत हो, सुलभकर्ता बाह्य संस्था पीछे हट जाए या अपनी सहभागिता कम कर डाले तो भी उसका संचालन जारी रहे। यह बात सैद्धांतिक रूप से बहुत सरल लगती है, परंतु व्यवहार में बहुत मुश्किल है। बॉक्स १ में यह बताया गया है। इस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ने का एक रास्ता यह है कि उसमें एक के बाद एक कई कदम उठाने पड़ेंगे। इस लेख में प्राकृतिक संसाधनों के विकास के कार्यक्रम को विकसित करने के मेरे अपने तथा डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर के क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर मैं कुछ सुझाव देता हूं।

लोग पहले, फिर विकासोन्मुख संस्था

कार्यक्रम की प्रवृत्तियां और ढांचे ऐसे होने चाहिए, जिससे स्थानीय समूह परियोजनाओं की अवधि पूर्ण होने के बाद और सुलभकर्ता संस्था आसपास न हो तब भी उनका निभाव करे और उनका उपयोग करे। इसीलिए अधिकारिता के कुछ बुनियाद सिद्धांतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

(१) लोगों की अपनी पर्याप्त समस्याएं हैं। उन्हें आपके या आपकी संस्था के मिशन, कार्यक्रम या लक्ष्य के बारे में कोई फिक्र नहीं है।

(२) लोगों को जो समस्याएं महत्वपूर्ण लगें, उनके बारे में जानकारी या सम्बंध व्यक्त करने के लिए संवाद की पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए। यहां सिद्धांत यह है कि समस्या पर विचार-विमर्श से संभावित हल की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यह बहुत सरल और स्पष्ट लगता है, परंतु उन विकासोन्मुख कार्यकर्ताओं के लिए व्यवहार में अपनाना बहुत मुश्किल हो सकता है जिनकी संस्था की अपनी कार्यक्रम होता है और लक्ष्य होते हैं जो पूरे करने होते हैं। यदि स्थानीय उदाहरणों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न हो, तो अन्य गांवों में स्थानीय समुदाय के साथ मिल कर सफल उदाहरण खोजना चाहिए। जिस गांव में विकास करना है उस गांव के आसपास के उदाहरण

सामान्यतः अच्छे होंगे, परंतु अधिक दूर के समुदायों के जो हल हों वे भी वास्तव में अच्छे होने चाहिए।

(४) लोगों को गांव में ही वे मिसालें ढूँढने के लिए प्रोत्साहन दो जिनमें लोगों ने स्वयं ही उस तरह की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया हो।

(५) स्थानीय समुदाय और समूहों को जो समस्याएं महत्वपूर्ण लगें उनका सामना करने के लिए वे विविध विकल्पों पर विचार करें, उसके बाद ही आप स्थानीय ज्ञान को पूरक बनाने के लिए अपना ज्ञान जोड़ो।

(६) समस्या के किसी भी हल का खर्च तो होता ही है। ऐसा भी हो सकता है कि खर्च हुआ भी हो। वह सरकार द्वारा, सामुदायिक समूह द्वारा या अलग-अलग लाभार्थियों द्वारा भी हुआ हो सकता है। कोई भी लाभ मुफ्त में नहीं होता। जब खर्च से लाभ अधिक होने वाला हो तभी वह हल विचारणीय कहलाता है। विकासोन्मुख कार्य में सामान्यतः खर्च सार्वजनिक संस्था उठाती है। विकास के लाभार्थी लोग सामान्यतः खर्च से ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं और चिरंतन विकास देखते हैं तथा ऐसे तरीके बड़े पैमाने पर अमल में आते हैं, इसीलिए ग्रामीण समूहों के साथ भागीदारी में काम करने वाली विकासोन्मुख संस्थाओं को इसके प्रति सतर्क रहने की जरूरत है कि खर्च/लाभ का प्रमाण हानिकारक न रहे।

यहां जो कदम सुझाए गए हैं वे अनिवार्य हैं तथा ऐसा नहीं है कि

बॉक्स १: क्रम का महत्व

मैं भारत में जलस्राव विकास कार्यक्रम का संचालन करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात कर रहा था। उन्होंने कुछ गौरवपूर्वक अत्याधुनिक विकास की जानकारियां दीं। उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों की मदद से उनका विभाग एक रंगीन मानचित्र तैयार कर रहा था। उदाहरण के तौर पर इसमें स्पष्ट रूप से ऐसे बंजर प्रदेश दर्शाए गए थे कि जहां हरियाली की जरूरत है और ऐसे स्थल भी दर्शाए गए थे जहां बरसाती पानी संग्रहित किया जा सकता है। उन्होंने उस गांव के लिए जलस्राव विकास की योजना तेजी से तैयार करने के लिए उन नक्शों का उपयोग करना समझाया।

उन्होंने कहा : "जलस्राव विशेषज्ञ यह नक्शा अपने साथ उस गांव में ले जाएं और ग्रामवासियों को बताएं कि जलस्राव विकास की योजना बनाना उनके लिए कितना आसान है!"

मैंने पूछा : "तो फिर ग्रामवासियों की भूमिका क्या होगी?"

उन्होंने उत्तर दिया : "फिर भी, जलस्राव योजना को अंतिम रूप देने से पहले विशेषज्ञ उनके अभिप्राय और सुझावों को ध्यान में लेंगे।"

उन्होंने देखा कि मुझे आश्चर्य हुआ है और पूछा कि इस पद्धति को लेकर मुझे क्या आपत्ति है।

मैंने कहा : कदाचित विशेषज्ञ व्यक्ति सबसे पहले तो यह नक्शा अपने थैले में रखे और फिर ग्रामवासियों से पूछे कि गांव तल के विशिष्ट लक्षण क्या हैं और विकास का आयोजन कैसे हो सकता है? बाद में विशेषज्ञ व्यक्ति उन्हें बताएं कि दूसरे कुछ विशेषज्ञ भी हैं जिन्हें उनके गांव में दिलचस्पी है। अर्थात् अंतरिक्ष से लिए फोटो द्वारा वे उनका विकास नक्शा अधिक बेहतर बना सकते हैं। क्या वे उनकी ओर नजर करेंगे? यदि ग्रामवासी इसमें दिलचस्पी दिखाएं तो विशेषज्ञ व्यक्ति बाद में उन्हें नक्शा बताए और यह समझाए कि जलस्राव विकास का आयोजन उनकी मदद से कैसे होगा और फिर ग्रामवासी जो अपनी टीका-टिप्पणी और सुझाव दें, उन पर विशेषज्ञ व्यक्ति विचार करे।

मैंने जो कुछ कहा उससे वे अधिकारी भी दिग्मूढ़ हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा : "ठीक, यह भी कुल मिला कर सही है। मात्र क्रम ही अलग है।" और मैंने तुरंत ही उसमें से मुद्दा पकड़ा : "हां, क्रम में ही अंतर है। वास्तविक विकास और सशक्तिकरण तभी होता है कि जब ग्रामवासी प्राथमिकता तय करें, विशेषज्ञ नहीं।" आखिरी निर्णय ग्रामवासी और विशेषज्ञ दोनों की राय के मिश्रण से होना चाहिए।

बॉक्स २ः जलस्राव विकास का उदाहरण

समुदाय के साथ बैठक में इतनी बातें कर सकते होः

- आप यह कह सकते हो कि खेती का उत्पादन बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने और आय बढ़ाने में ग्राम समुदाय की मदद करने में आपको दिलचस्पी है। अर्थात् आप उनके गांव की मुख्य फसलों में खेती की उत्पादकता के वर्तमान प्रमाण को समझना चाहते हो।

- आप चार्ट पेपर पर लोगों को अपने गांव की सीमाएं, ढलान, नाले, जंगल क्षेत्र, सार्वजनिक जमीन और सिंचाई की अच्छी सुविधा वाले क्षेत्रों या गांव के कुएं आदि बनाने के लिए प्रोत्साहन दो।

- अब आप मुख्य फसल की उत्पादकता के बारे में चर्चा कर सकते होः गांव या खेतों के कौनसे भाग अधिक उत्पादक हैं? गांव वालों को ऐसा क्यों लगता है? कौनसे खेत कम उत्पादक हैं? क्यों? किन कारणों से? ऊंची उत्पादकता हासिल करने के लिए उन किसानों को क्या-क्या करना चाहिए।

- जो कारण सामने आएंगे, उनमें पानी की सुविधा, जमीन का ढलान और जमीन का क्षरण आदि होंगे। आप पूछ सकते होः यदि ऐसी सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराई जाएं, तो कहां उपलब्ध करानी चाहिए? इससे क्या लाभ होगा, उपज में क्या लाभ होगा और वित्तीय लाभ क्या होगा?

आपको अब यह बताने का प्रलोभन होगा कि आपके पास जलस्राव विकास कार्यक्रम है तथा वह उनकी समस्या में सहायक हो सकता है। आप समुदाय को अब यह भी बता सकते हो कि आपकी विकासोन्मुख संस्था बड़े पैमाने पर वित्तीय सहयोग दे सकती है बशर्ते स्थानीय समुदाय थोड़ा योगदान देने को तैयार हो। आप जब अपनी योजना बताओगे और उसके लिए धन की थैलियां दोगे तब ग्रामजनों को भी आश्चर्य होगा। आप प्रलोभन का प्रतिकार करो!

यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि विकासोन्मुख कार्यकर्ता के पास उसके अपने कार्यक्रम के लक्ष्य होते हैं जो हासिल करने होते हैं। जब ऐसा लगे कि समुदाय जलस्राव विकास कार्यक्रम शुरू करने को तैयार है, परंतु यह सही नहीं है। ग्रामीण समुदाय ने तो अभी अपनी समस्याओं का विश्लेषण करने की ही शुरूआत की है। अभी वह जानता ही नहीं है कि इस कार्यक्रम का अर्थ समुदाय के लिए क्या है और उसके विभिन्न सदस्यों के लिए क्या है या फिर वह बाह्य संस्था से क्या-क्या अपेक्षा रखता है।

उनका अनुकरण करना ही पड़े। वास्तव में तो वे सुझाव मात्र हैं। कार्यक्रम का स्वरूप, स्थानीय परिस्थिति, समुदाय के साथ आपके अपने सम्बंध और स्थानीय प्रतिभावों के आधार पर इन कदमों का अनुकरण किया जा सकता है।

इन तमाम कदमों का क्रम उचित रूप से लगाने का अर्थ यह नहीं है कि इसमें विस्तृत आयोजन और अमल की जरूरत पड़ेगी। इसका अर्थ है कि लोग पहले हैं और फिर विकासोन्मुख संस्था आती है। इसीलिए उनका आंतरिक क्रम तय करने की समझ विकसित करना और उनके अनुभवों से सीखना महत्वपूर्ण है।

कदमों का आंतरिक क्रम

कल्पना करो कि एक विकासोन्मुख कार्यकर्ता के रूप में आप एक नए गांव में जाते हो। आपको वहां एक नया विकासोन्मुख कार्यक्रम शुरू करना है। आप चाहते हो कि यह कार्यक्रम सहभागी और चिरंतन बने। आपको आशा है कि स्थानीय समुदाय उसे अपना कार्यक्रम मानेगा और धीरे-धीरे वे स्वयं ही इस कार्यक्रम का संचालन करने लगेंगे।

कदमः१

जिस गांव में विकास करना है, उस गांव के स्थानीय नेता कौन-कौन हैं, मुख्य समुदाय व जातियां कौन-कौनसी हैं अथवा गांव में

कितने परिवार बसते हैं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोगों से मिलना शुरू करो।

कदमः२

स्थानीय नेताओं से मिलो। आप विकासोन्मुख संस्था के कार्यकर्ता होने की पहचान दो। यह समझाओ कि संस्था समुदाय-आधारित समूहों और संगठनों को सहायता देने में दिलचस्पी रखती है। योजना के मूल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। यह बात महत्वपूर्ण है। अभी तो आप मात्र इतनी ही धारणा करो कि वह गांव के विकास के लिए प्रासंगिक है उपयोगी है।

कदमः३

इस बैठक में या बाद की बैठक में स्थानीय परिस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करो। गांव के विविध भागों का दौरा करो, खासकर ऐसे क्षेत्रों का दौरा करो, जहां गरीब समुदाय के लोग रहते हों। जैसे सिंचाई की नहर के ठेठ छोर पर रहने वाले लोग। उनकी समस्याओं को समझो। आप कोई फसल, व्यक्ति, समूह या असामान्य पेड़ देखो, तो रुक जाओ। आप जो कुछ देख रहे हो, उसके बारे में सीधे-सादे सवाल पूछो और लोग जो कहें उसे ध्यानपूर्वक सुनो।

कदमः४

आगे बढ़ो और आपको कोई बड़ा समूह मिले तो बैठ जाओ। आप उन समस्याओं पर सवाल करो जो आपके कार्यक्रम से सम्बंधित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि वह जलस्राव विकास कार्यक्रम हो तो वे कौनसी फसल लगा रहे हैं, कितनी उपज है और कुछ लोगों की उपज कुछ अन्य लोगों से अधिक क्यों है जैसे कुछ मुद्दों पर आप चर्चा छेड़ो।

आप कागज (जो आप हमेशा साथ लेकर चलते हो!) पर या जमीन पर वह अंतर बताने को कहो। जब ग्रामवासी परिस्थिति के बारे में अपने ख्याल और अपनी समझ बताने या लिखने की शुरूआत करें, तभी से आप सशक्तिकरण (इम्पावरमेंट) की प्रक्रिया में शामिल हो गए हो। आपकी जबर्दस्त जिज्ञासा आपके प्रश्नों में व्यक्त होती है और स्थानीय समुदाय को वह आप पर रख देती है। इतना याद रखो कि आप यहां पूर्णतः मात्र विद्यार्थी बन जाते हो और कुछ सीखते हो।

कदमः५

अब तक आपके कार्यक्रम से सम्बंधित गांव के बारे में कुल मिला कर जानकारी आपने प्राप्त कर ली होगी। हालांकि आप जानते हो कि गांव का समुदाय एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि इसमें विविध समूह हैं, कुछ ऐसे हैं जो दूसरों से अधिक बेहतर स्थिति में हैं। अतः यह अनिवार्य है कि सुदूर समूहों से स्वयं मिलने जाएं। इसमें कदाचित सीमांत किसान अथवा निम्न जातियां भी हो सकती हैं। वे जहां रहते हैं या रह सकते हैं, उन क्षेत्रों का दौरा करो और उनसे बात करो। अत्यंत जिज्ञासा के साथ, उनकी परिस्थिति और समस्याओं को उसी तरह समझने का प्रयास करो जिस तरह वे समझते हैं। फिर एक बार, आपका कागज और आपका पेन उन्हें दो। प्रक्रिया का यह भाग अर्थात् वंचितों का सम्मान करने की प्रक्रिया। गांव के नेताओं को गुस्सा दिलाए बिना यह काम चतुराईपूर्वक होना चाहिए।

कदमः६

अब तक गांव की स्थिति के बारे में आपको कुल मिला कर ख्याल आ गया होगा और आप जो कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहते हो उससे जुड़े हलों के जो विकल्प हैं उनका ख्याल भी आ गया होगा। यह समय बड़ी संख्या में समुदाय के साथ बैठक आयोजित करने का है। वंचित समूहों के साथ आपने सम्पर्क स्थापित किए ही हैं, अतः इस बात का ध्यान रखो कि वे इस बैठक के बारे में जानें, बैठक में आएं और अपनी समस्याओं तथा उसमें अपने मत प्रस्तुत करें। आप ऐसे विकासोन्मुख कार्यकर्ता बन गए हो जो वंचितों से सम्बंध रखते हैं। आप उनके प्रवक्ता नहीं हो। आप उन्हें उनके अभिप्राय प्रस्तुत करने के लिए हिम्मत देने का प्रयास कर रहे हो।

यह समय जो सवाल उठे हैं उनकी समीक्षा करने का है। खासकर सामान्य समस्याओं और वंचितों की विशिष्ट समस्याओं की समीक्षा करनी है। आप ऐसे अन्य गांवों की कहानियों और दृश्य-श्रव्य फिल्में जैसी सामग्रियां प्रस्तुत कर सकते हो जिन्होंने इस तरह की समस्याओं का सामना किया हो और संतोषजनक ढंग से हल किया हो। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इससे ऐसे सफल गांवों की बात विस्तार से जानने की लोगों की उत्सुकता बढ़ती है। बॉक्स सं. २ और बॉक्स सं. ३ में विविध परिस्थितियों में समुदाय की बैठकें

बॉक्स ३: सहभागी सिंचाई संचालन का उदाहरण

आपने सिंचाई के लिए नहर का दौरा किया है। आप कई किसानों से मिले हो और सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) द्वारा जल वहन और जल वितरण की विविध समस्याओं के बारे में सीखे हो। सिंचाई व्यवस्था से प्रभावित किसानों के साथ आप बैठक करते हो, उनकी वंचितता के बारे में आप जानते हो, परंतु आपको बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना है।

सरकार की सहभागी सिंचाई प्रबंध योजना का आप उल्लेख भी मत करो। चार्ट पेपर का उपयोग करके ग्रामवासियों को समग्र नहर व्यवस्था बनाने और अपनी समस्याएं दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करो। आपको फिर एक बार लालच होता है कि आप उन्हें यह बताओ कि सहभागी सिंचाई प्रबंध व्यवस्था के तहत सरकार उन्हें नहर की खामियां दूर करने के लिए ८० प्रतिशत धन उनके योगदान करने की शर्त पर दे सकती है। ऐसा मत करो। ऐसा करना अभी जल्दबाज़ी है।

किसानों ने अभी भी खर्च और लाभ के संदर्भ में अपनी समस्याओं का विश्लेषण नहीं किया है या फिर संभावित निवारणों के संदर्भ में भी नहीं सोचा है। एक बार वे नहर की व्यवस्था की समस्याएं पहचान लें, फिर उन्हें पूछो कि कौनसी समस्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और कुछ क्षेत्रों में जमीन मालिकों लोगों या किसानों पर उसका असर होता है या नहीं। ऐसा जवाब मिल सकता है कि उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिलता। फिर पूछो कि उसका परिणाम क्या होता है? जवाब मिलेगा कि उत्पादन कम होता है। कितना कम? कहेंगे कि प्रति हैक्टेयर २०० किलोग्राम कम। पैसों के रूप में इसका क्या अर्थ हो सकता है?

कदाचित प्रति हैक्टेयर २००० रुपए। नहर की व्यवस्था के विविध भागों में खामी होने के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को खोजो। आपको पता चलेगा कि हर वर्ष २ लाख रुपए का नुकसान होता है। मन ही मन गणना करोगे तो आपको पता चलेगा कि यदि ये खामियां सुधारी गईं तो अगले ५ वर्ष में १० लाख रुपए की अतिरिक्त आय होगी। यह एक उचित निवेश होगा, लेकिन ठहरो और यह गणना अपने मन में ही रखो।

अब आप यह कहो कि आप ऐसे गांव जानते हो जिन्होंने इस समस्या का सामना संतोषजनक ढंग से किया है। क्या वे उन गांवों का दौरा करना पसंद करेंगे? आप बताओ कि विकासोन्मुख संस्था के पास उनकी शैक्षणिक मुलाकात के खर्च के लिए कुछ पैसे हैं और कुछ पैसे स्थानीय समूह योगदान के रूप में दें। मजबूत विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सुलभकर्ता संस्था के लिए यह सबसे उचित खर्च होगा।

जिस तरह करनी चाहिएं उसके दो उदाहरण दिए गए हैं।

कदमः७

सशक्तिकरण की प्रक्रिया में शैक्षणिक मुलाकातें और प्रवास एक महत्वपूर्ण चरण है। दूसरे गांव के समुदाय ने उनकी जैसी ही समस्या का हल जिस तरह से किया उसे ग्रामवासी स्वयं ही देख सकते हैं। वे ही गांव के महिलाओं, पुरुषों, नेताओं, प्रभावी समूहों और वंचित समूहों से यह जानें कि विकास से उन्हें किस तरह लाभ हुआ।

आप ऐसी मुलाकात पर जाने वाले समूह का साथ दे सकते हो। फिर एक बार आप उन्हें उनके गांव में ऐसी ही समस्याओं के ऐसे ही हल लाने के लिए कहना और कहलवाना टालो। आपको तो यथासंभव अधिक मात्रा में वे सीखें, इसके लिए सुलभकर्ता बनना है। मात्र क्या हुआ है, वह महत्वपूर्ण नहीं है, परंत कैसे हुआ है, यह महत्वपूर्ण है और वे सीखते हैं यह देखना है। उदाहरण के तौर पर :

- कार्य की शर्तें तय करने के लिए मंत्रणा करने की जिम्मेदारी किसने उठाई?
- यदि योजना के तहत कोष की रकम की जरूरत हो, तो वह रकम कैसे तय हुई और वह कैसे एकत्र की गई?
- काम करने के लिए समूह का गठन कैसे हुआ, सामग्री कैसे एकत्र की गई और डिजाइन कैसे मंजूर किया गया?

- हिसाब किसने रखा और ऑडिट किसने किया?
- गुणवत्ता का निरीक्षण किसने किया?

रखरखाव और कार्य, खर्च, शुल्क तथा वसूली आदि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में भी मुलाकाती समूह को सीखने दो। यह काम कभी भी सरल नहीं होता। किसी भी मुद्दे के बारे में विरोधी सुर उठें या असहमति की आवाज उठे तो उसे संभालने की जिम्मेदारी कोई एक मुख्य समूह उठाए, वह जरूरी है। जो शिक्षार्थी समूह है उसे उसके अपने गांव में ही यह सब करना है और वह सफल गांव के अनुभव से यह सब सीख सकता है और उनका लाभ प्राप्त कर सकता है। उन्हें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहन दो और जो शिक्षित हैं उन्हें नोट करने के लिए प्रोत्साहित करो।

कदम:८

आप स्थानीय समूहों के साथ गांव में लौटते हो। अपने ही गांव में विकास की ऐसी ही प्रवृत्तियां शुरू करने की संभावनाओं को लेकर लोगों में उत्तेजना है।

इस मुलाकात के दौरान समुदाय के तमाम सदस्यों के साथ बैठक करो। इस बात का ध्यान रखो कि जिन्होंने शैक्षणिक प्रवास में भाग लिया था वे जरूर हाजिर रहें। उन्हें समग्र समुदाय के समक्ष अपने विचार और अनुभव बताने दो। वे आपकी धारणा से भी अधिक मात्रा में स्पष्ट होंगे। गांव में यह एक मनन और मंथन का क्षण होगा। अब यह समय है कि जब अधिक सावधानी और धीमी, परंतु ठोस गति से हल की तरफ आगे बढ़ा जाए। आपके हल और आपकी योजनाएं नहीं, बल्कि उनके अपने हल और उनकी अपनी योजनाएं। उन्होंने स्वयं जो देखा है, उससे जो सबक मिले हैं, उन्हें अब अपनी तरह से लागू करके समस्याओं का हल खोजना अच्छा लगेगा। वे आपसे सलाह मांग सकते हैं। दूसरे गांव में भी उन्होंने जो देखा है उसके अनुसार क्या उन्हें अपने गांव में वही योजना और धन प्राप्य है?

अब आप उन्हें ऐसी जानकारी दे सकते हो कि आपकी योजना क्या है और गांव के समुदाय से आपको किस भूमिका और क्या जिम्मेदारियों की अपेक्षा है। जिस समस्या का सामना कर रहे हैं, उसके खर्च के बारे में आपने जो सूचना एकत्र की थी, उसे अब आप याद कर सकते हो - जैसे नहर की अविश्वसनीय जलापूर्ति के कारण उत्पादन में होने वाले नुकसान का खर्च। आप अब इस वित्तीय नुकसान की तुलना आपके मन में जो योजना है उसके अमल के लिए ग्रामवासियों से जो छोटे योगदान की अपेक्षा के साथ कर सकते हो।

कदम:९

यदि यह प्रक्रिया योजना के अनुसार आगे बढ़े और गांव उस योजना में आगे बढ़ना पसंद करे तो विकासोन्मुख संस्था सौभाग्यशाली होगी। वे कदाचित ऐसा न भी करें। कुछ मामलों में वह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण भी हो सकता है। सफल मामले अधिक अनुकूल माहौल बनाएं तब तक समग्र दरख्वास्तें स्थगित करनी पड़ सकती हैं। परंतु यदि उस योजना का अमल करने वाले समुदाय का प्रतिभाव सकारात्मक हो तो आप ग्रामीण समुदाय को जो जिम्मेदारियां उठानी हैं उनकी शर्तों की रूपरेखा तैयार कर सकते हो, जैसे

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हाजिरी देना।
- योजनाएं तैयार करना और उनकी मंजूरी प्राप्त करना।
- योजनाओं का अमल करना।
- हिसाब रखना।
- दस्तावेज संभालना।
- बाद में अपने खर्च से ये व्यवस्थाएं बनाए रखना।

उन्हें यह बात याद दिलाओ कि उन्हें ही ढांचों और सुविधाओं के उपयोग और रखरखाव के लिए नियमित रूप से धन देना होगा। अब यह उचित समय है कि अच्छी व्यवस्था न हो तो जो नुकसान होता है या जो अवसर गंवाए जाते हैं उस संदर्भ में जो खर्च होता है उसकी याद उन्हें दिलाई जाए। टिकाऊ विकास के लिए उचित रखरखाव और प्रबंध महत्वपूर्ण है।

कदम:१०

इस चरण में समुदाय स्वयं अपनी योजना विकसित करे, उसका अमल करे और उसका प्रबंध करे, इसके लिए उसे संगठित करने वाले छोटे-बड़े मुद्दों में आप शामिल होते हो। यदि यह प्रक्रिया ठीक

से चले तो विकासोन्मुख कार्यकर्ता के रूप में आपको इस बात की उत्तेजना होगी कि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका लगभग पूरी हो गई है। ग्राम समुदाय बहुत तेजी से आगे बढ़ने और विकास की जिम्मेदारी स्वीकारने को तैयार है। उचित रूप से काम आयोजित हो और उसका अमल हो तब तक आपको मात्र तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय सहायता ही देना है। बाद में आपको इस बात का संतोष होना चाहिए कि समुदाय ने अपनी कार्यकारिणी समिति और अन्य समितियां योजना की निगरानी और उसकी कार्यक्षमता, समता और चिरंतनता के साथ संचालन करने के लिए गठित कर ली हैं। विकासोन्मुख संस्था की भूमिका धीरे-धीरे, परंतु निर्णायक ढंग से घटती जाती है। वह पूर्णतः खत्म नहीं हो जाती। समुदाय को नई समस्याएं परेशान करें और नए अवसर उपलब्ध हों तो इसके लिए उसकी सेवाएं हमेशा प्राप्य होती ही है।

कदमः११

इस प्रक्रिया द्वारा मूल संस्थागत योजना मजबूत रूप से समुदाय की योजना बन जाती है। जो अन्य लोग समुदाय के अनुभवों से सीखना चाहते हैं, वे इस गांव की मुलाकात को आ सकते हैं। ग्रामजन बहुत उत्साहपूर्वक उन्हें उनकी योजना के विकास के बारे में समझाने में सक्षम होने चाहिए और इस प्रकार वे अन्य लोगों में ऐसा ही काम करने के लिए विश्वास जगाएंगे। वास्तव में ऐसे सफल गांवों में समुदाय के जो सदस्य - महिला, पुरुष, परम्परागत नेता और नए नेता - शामिल हुए हों वे सभी अब विशेषज्ञ बन सकते हैं। परिषदों, सभाओं, कार्यशालाओं और परिसंवादों में मार्गदर्शन दे सकते हैं। वे गौरवपूर्वक अपनी उपलब्धियां प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी सुलभकर्ता संस्था के लिए इससे अधिक बड़ा परिणाम क्या हो सकता है?

अंतिम कदमः लोभ नहीं, बल्कि लाभ द्वारा सशक्तिकरण

भारतीय भाषा में 'लोभ द्वारा नहीं, बल्कि लाभ द्वारा' का अर्थ है कि अनुदान का लालच नहीं, बल्कि विकास का लाभ लोगों को सशक्त बनाता है। विकास का यह अंतिम चरण है। इसमें आत्मविश्वास के निर्माण का लगभग निदर्शन होता है। उन्हें पता चलता है कि विकास के खर्च से विकास के लाभ अधिक हैं। हालांकि सरकार या अन्य दाताओं द्वारा खर्च वहन किया जाए तब तक वृद्धि पर नियंत्रण और मर्यादाएं रहती हैं। ऐसा हो सकता है कि स्थानीय सामुदायिक समूह और स्थानीय समुदाय के लोग काफी लाभ होने वाला होने पर भी उस रकम का योगदान न करें।

ऐसा संभव है कि वे नवीनतम विचारों का प्रयोग न कर सकें या उनके बारे में विचार न कर सकें। स्थानीय समूह या साहसिक व्यक्ति अपने खर्च पर नवीनतम विचारों के बारे में हमेशा प्रयोग करें और इसमें अपनी जो कुछ बचत हो वह डालें, परंतु इससे बहुत कम अतिरिक्त लाभ होते हैं।

अनुदान-आधारित विकास का अवरोध तोड़ने के लिए सामुदायिक समूहों और साहसिक व्यक्तियों को मात्र एक ही शर्त पर बड़े गतिशील कोष की प्राप्ति की जरूरत को पहचानना रहता है। वह शर्त यह है कि अतिरिक्त आय इतनी अधिक तो होनी ही चाहिए जिससे ब्याज के साथ ऋण की किश्तों का भुगतान किया जा सके। यानी वह ऋण आधारित निवेश होगा। यह एक ऐसा मार्ग है जो स्थानीय रूप से चयनित योग्य विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगा, जिसके लिए समूह और व्यक्ति जिम्मेदारियां और जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार हैं।

स्थानीय विकास के लिए साथ काम करने का उनका सफल अनुभव उनकी सामाजिक पूंजी है। अतः उन सामुदायिक समूहों के लिए संगठित स्रोतों से कोष प्राप्त करना वाजिब शर्तों पर संभव होना चाहिए जिन समूहों ने स्थानीय कार्यक्रम संतोषजनक ढंग विकसित किया हो और उसका संचालन किया हो और विकास का पथ तय किया हो तथा विकास की सम्पूर्ण संभावनाएं पूर्णतः चरितार्थ करने के लिए पर्याप्त सशक्त बने हों। विकासोन्मुख कार्यकर्ता के रूप में, आपकी अंतिम भूमिका प्रबुद्ध ऋण संस्था बता देने का अंतिम कदम उठाने और स्थानीय समूह उनका प्रथम ऋण प्राप्त करने के लिए शर्तों के बारे में बातचीत करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर देने की है, जिससे दोनों पक्षों से वाजिब शर्तों पर सौदे हों। यदि आप प्रथम दौर में सफल हुए तो दूसरे या बाद के दौर की जरूरत शायद ही आपको पड़ेगी। आपके भागीदार पर्याप्त सशक्त बन गए हैं और इसके लिए परिपक्व बन गए हैं।

वेबसाइटः www.dscindia.org

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

भारत सरकार ने देश के पिछड़े क्षेत्रों के ढांचागत विकास के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड-बीआरजीएफ) का गठन किया है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए यह कोष जिस तरह खर्च करना चाहिए तथा इसमें जिन-जिन बातों का समावेश होना चाहिए उस बारे में जानकारी देने वाला यह लेख पंचायती राज मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर **श्री हेमन्तकुमार शाह** ने तैयार किया गया है।

प्रस्तावना

भारत में १९५१ से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत हुई। अब तक १० पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके बावजूद प्रादेशिक असंतुलन निवारण का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। समग्र देश में व्याप्त पिछड़ेपन के बीच कुछ जगहों पर विकास हुआ है, यानी कुछ क्षेत्रों का विकास हुआ है और बाकी के अधिकांशतः पिछड़े रह गए हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में और उस योजना के आधार पर तैयार की जाने वाली प्रत्येक वार्षिक योजना में पिछड़े प्रदेशों के विकास पर विशेष ध्यान देने की प्रतिबद्धता केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें व्यक्त करती रही हैं, परंतु खासकर आदिवासी क्षेत्रों का विकास अपेक्षानुरूप नहीं हुआ है।

राज्य सरकारों ने पिछड़े क्षेत्रों की पहचान के लिए बारबार कवायद की है। ऐसे पहचाने गए क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं भी बनाई है। इसके बावजूद उनका विकास नहीं हुआ है। जैसे गुजरात में १९८० के दशक में आइ. जी. पटेल समिति द्वारा जिन तहसीलों को पिछड़ा बताया गया था उन्हीं तहसीलों को २००५ में वी. आर. एस. कौलगी समिति द्वारा पुनः पिछड़ा बताया गया है। इसका अर्थ हुआ कि विकास सम्बंधी तमाम कवायद के बावजूद पिछड़े क्षेत्र पिछड़े ही रहे हैं।

केन्द्र सरकार ने ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए २००६-०७ से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष का गठन किया है और यह तय किया गया है कि यह कोष २००७-१२ की ११वीं पंचवर्षीय योजना की समग्र अवधि के दौरान उपलब्ध हो। उल्लेखनीय है कि इस कोष के उपयोग का आयोजन और अमल करने का कार्य स्थानीय स्तर पर पंचायतों और पालिकाओं द्वारा करने के लिए दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। १९९२ में ७३वें और ७४वें संविधान संशोधन पंचायतों तथा पालिकाओं को तीसरे स्तर की सरकार बनाने के लिए किया गया था तब अनुसूची सं. ११ और १२ में क्रमशः पंचायतों व पालिकाओं के कार्यों की सूची क्रमशः २९ व १८ दी गई। आज भी ये कार्य पंचायतें और पालिकाएं स्वायत्त ढंग से नहीं कर सकतीं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष यह चाहता है कि पंचायतें और पालिकाएं स्वतः इस कोष का उपयोग कर उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकास करें।

उद्देश्य

भारत में विकास में दिखने वाले क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष स्थापित किया गया है। इस समय जो वित्तीय संसाधन प्राप्य हैं, उसके अलावा इस कोष से वित्तीय संसाधन प्राप्त कराए जाएंगे। यह तय जिलों में प्राप्य बनेगा। इस कोष के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

१. इस समय जहां स्थानीय ढांचागत सुविधाओं के लिए और विकास की अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हैं वहां इस खाई को पाटना।

२. इसके लिए पंचायतों और पालिकाओं के स्तर पर शासन की व्यवस्था मजबूत करना, जिससे क्षमता निर्माण हो, सहभागी आयोजन और निर्णय प्रक्रिया तथा अमल व देखरेख का कार्य आगे बढ़े तथा उसमें स्थानीय जरूरतों की झलक पड़े।

३. उनकी योजनाओं के आयोजन, अमल व देखरेख के लिए स्थानीय संस्थाओं को पेशेवर समर्थन देना।

४. पंचायतों को जो महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं उन्हें वे अधिक बेहतर ढंग से कर सकें तथा सेवाओं की आपूर्ति बेहतर ढंग से कर सकें, इसके लिए प्रयास करना। स्थानीय स्तर पर क्षमता

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष का अमलः गुजरात और राजस्थान

गुजरात और राजस्थान में इस कोष का अमल निम्न जिलों में किया जा रहा है:

गुजरात	राजस्थान	
१. बनासकांठा	१. बांसवाड़ा	७. झालावाड़
२. डांग	२. बाड़मेर	८. करोली
३. दाहोद	३. चित्तौड़गढ़	९. सवाई माधोपुर
४. नर्मदा	४. डूंगरपुर	१०. सिरोही
५. पंचमहाल	५. जैसलमेर	११. टोंक
६. साबरकांठा	६. जालौर	१२. उदयपुर

के अभाव के कारण कार्यक्षमता तथा समता में होने वाली कमी को दूर करने के प्रयास करना।

मूलभूत लक्षण

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के मूलभूत लक्षण निम्नानुसार हैं:

१. संविधान के भाग-९ में शामिल किए गए राज्यों व जिलों को इस कोष के दिशा-निर्देश लागू पड़ते हैं।

२. प्रत्येक जिले को अपने पिछड़ेपन का निदानोन्मुखी अध्ययन करना है। इसके लिए वे पेशेवर समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। उसके आधार पर उसे समन्वित विकास की शुरूआत करनी है। इस बारे में मूलभूत सर्वेक्षण की तैयारियों का समावेश हो जाता है। ११वीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए और समग्र योजना की अवधि के लिए जिले की योजना तैयार करनी है। यह योजना सहभागी रूप से तैयार की जाए।

३. संविधान की धारा २४३जी के अनुसार ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत को कार्यक्रम के अमल का काम करना है।

४. संविधान की धारा २४३डब्ल्यू और २४३जेडडी के अनुसार पालिकाओं को भी शहरी क्षेत्रों में आयोजन व अमल करना है।

५. आयोजन में स्थानीय बातों को प्राथमिकता देने का सिद्धांत अपनाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और वार्ड सभा तथा शहरी क्षेत्रों में क्षेत्र सभा और वार्ड समितियों द्वारा लोगों की सहभागिता द्वारा कार्यक्रम का अमल किया जाएगा।

६. प्रत्येक पंचायत व पालिका में तैयार की जाने वाली सहभागी योजनाओं में निम्न बातों का समावेश किया जाएगाः
   (१) राज्य की योजना में क्षेत्रीय व जिला आयोजन।
   (२) केन्द्र द्वारा पुरस्कृत योजनाएं : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

नीचे से ऊपर की ओर आयोजन ग्राम पंचायत की योजना

१. ग्राम सभा में तय प्राथमिकताओं के आधार पर ग्राम पंचायत अपनी योजना को अंतिम रूप दे।

२. ग्राम पंचायत उसके बाद अपने सुझाव तहसील पंचायत को भेज दे।

३. ग्राम पंचायत स्तर पर जो परियोजनाएं व जो प्रवृत्तियां लागू की जा सकें उनका समावेश ग्राम पंचायत की योजना में किया जाए।

४. इसका अनुमान भी लगाया जाए कि ग्राम पंचायत की योजना में समुदाय का योगदान कितना होगा।

तहसील पंचायत की योजना

१. तहसील पंचायत ग्राम पंचायतों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अपनी योजना तैयार करे।

२. इसमें वह अपनी प्राथमिकताएं भी जोड़े।

३. जिन परियोजनाओं और प्रवृत्तियों का अमल तहसील पंचायत स्तर पर किया जा सकता है उनका समावेश तहसील पंचायत की योजना में किया जाए।

जिला योजना

१. ग्राम पंचायत की योजनाओं, तहसील पंचायत की योजनाओं और जिला पंचायत की योजनाओं के आधार पर जिला आयोजन समिति जिले की जिला योजना को अंतिम रूप देगी।

इसी प्रकार की कवायद शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भी की जानी चाहिए। प्रत्येक पालिका को उसके अपने सुझाव जिला योजना के लिए भेजने हैं।

जिला योजना

जिला योजना का मसौदा तैयार करने में निम्न बातों को ध्यान में लेना होगा:

१. प्रत्येक स्थानीय निकाय के बारे में जो सूचना प्राप्त होती हो उसे एकत्र करना चाहिए।
२. राज्य सरकार की संस्थाओं, विभागों और जिला स्तर के सांख्यिकी संगठनों द्वारा यह जानकारी दी जानी चाहिए।
३. इस सूचना के आधार पर जिला द्वारा १० से १५ वर्ष की एक भावी योजना तैयार की जानी चाहिए और प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए भी ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए।
४. यह योजना तैयार करने का काम सहभागी आकलन द्वारा होना चाहिए।
५. जिला आयोजन समिति यह योजना तैयार करने के लिए स्थानीय निकायों और अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करे और फिर योजना को अंतिम रूप दे।
६. इस दस्तावेज में पिछड़ेपन के कारण और विकास की खामी तथा विकास के आड़े खड़े अवरोध दर्शाए जाएं।
७. इन विषयों में निम्न मुद्दों का समावेश होना चाहिए:
   १. खेती व सम्बंधित क्षेत्र।
   २. जल संसाधनों की प्राप्यता और विकास।
   ३. परम्परागत उद्योगों व खाद्य प्रक्रिया सहित के लघु उद्योग।
   ४. बिजली सहित ढांचागत सुविधाएं।
   ५. पेयजल और सफाई।
   ६. साक्षरता और विद्यालयी शिक्षा।
   ७. स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधाएं।
   ८. गरीबी में कमी और बुनियादी जरूरतें।
   ९. महिलाएं और बच्चे।
   १०. सामाजिक न्यायः अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, विकलांग व्यक्ति आदि।

गारंटी योजना, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, पेयजल मिशन, संपूर्ण सफाई अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समन्वित बाल विकास सेवाएं और राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन।

(३) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत आने वाला कोष।
(४) केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त होने वाला सशर्त और अशर्त कोष।
(५) भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत प्राप्त होने वाला कोष।

कोष की राशि

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष की राशि सम्बंधी विवरण निम्नानुसार है:

१. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष में क्षमतावर्धन के लिए हर वर्ष २५० करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। यह रकम आयोजन, अमल, देखरेख, लेखा, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के लिए खर्च की जाएगी।
२. २००६-०७ के लिए ३५०० करोड़ रुपए की अशर्त ग्रांट आवंटित की गई। ११वीं पंचवर्षीय योजना के पांच वर्ष की अवधि की ग्रांट की रकम निर्धारित की जाएगी।
३. प्रत्येक जिले को हर वर्ष कम से कम १० करोड़ रुपए की राशि

जिला योजना के वित्तीय स्रोत

जिला योजना में स्थानीय सरकार के भाग के लिए आवश्यक जो धन निम्न स्रोतों से आएगा:

१. विकास के लिए उपलब्ध स्वकोष।
२. विकास के उद्देश्य के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार होने वाला अंतरण।
३. राज्य सरकार से अंतरण होने वाला बारहवें वित्त आयोग का अनुदान।
४. स्थानीय आयोजन के लिए दिया जाने वाला अशर्त अनुदान।
५. स्थानीय निकायों को केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं का अमल सौंपा गया हो तो उसके लिए आने वाला अनुदान।
६. स्थानीय निकायों को राज्य की जिन योजनाओं का अमल करना हो उन योजनाओं के लिए राज्य द्वारा दिया जाने वाला अनुदान।
७. स्थानीय निकायों को जिन विदेशी सहायता वाली योजनाओं का अमल करना हो उसके लिए दिया जाने वाला अनुदान।
८. समुदाय द्वारा दिया जाने वाला योगदान।

क्रियान्वयन के लिए तंत्र

१. संविधान के भाग-९ और भाग-९ए के अनुसार गठित की गई जिला आयोजन समितियां, पंचायतें और पालिकाएं इस कार्यक्रम के संचालन का काम करेंगी। इसके लिए पंचायत स्तर पर कोई विशेष संस्था, संचालन समिति, मंडली आदि का गठन नहीं किया जाएगा।

२. कार्यक्रम पर निरीक्षण, संचालन और देखरेख के लिए विशेष ध्यान देने के लिए पंचायतों व पालिकाओं में स्थायी समितियों का गठन किया जाएगा।

३. पंचायत और पालिका स्तर पर कार्यों के अमल के लिए राज्य सरकार को निम्न कदम उठाने होंगेः

(अ) पंचायतों और पालिकाओं ने जिन प्रवृत्तियों का आयोजन किया है उनका अमल हो।

(ब) तहसील पंचायत या जिला पंचायत यदि निर्धारित वित्तीय सीमा में कार्य को मंजूरी दे तो उस धन का अंतरण उसे ग्राम पंचायत को करना है जिससे ग्राम पंचायत उस पर अमल कर सके।

(क) यदि पंचायतों व पालिकाओं के क्षेत्र के बाहर कार्य करने हों तो जिला आयोजन समिति अमल करने वाले विभाग या संस्था के बारे में निर्णय कर सकती है, परंतु इसमें भी पंचायतों को निरीक्षण और देखरेख के लिए स्पष्ट अधिकार देने होते हैं।

उपलब्ध होगी।

४. इस योजना के तहत ५० प्रतिशत रकम तमाम पिछड़े जिलों की कुल आबादी में सम्बद्ध जिले की आबादी के आधार पर तय की जाएगी।

५. शेष ५० प्रतिशत रकम तमाम पिछड़े जिलों के कुल क्षेत्र में सम्बद्ध जिले के क्षेत्र के आधार पर तय की जाएगी।

६. प्रत्येक राज्य को यह फॉर्मूला तैयार करना होगा कि प्रत्येक पंचायत व पालिका को कितना कोष दिया जाए।

७. इस फार्मूले में दो बातों को ध्यान रखना होगाः (अ) जिले में सम्बद्ध पंचायत व पालिका का हिस्सा। (आ) प्रत्येक श्रेणी के लिए जो आवंटन किया गया उसमें सम्बद्ध पालिका या पंचायत का हिस्सा।

सहभागी आयोजन

ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागी आयोजन के लिए इस कोष में विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। लोगों की सहभागिता हो तभी कोई भी योजना सफल होगी, इसी अनुभव के आधार पर इस कोष में प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा प्रभावी ढंग से काम करनी चाहिए। ग्राम पंचायत में रहने वाले तमाम लोग ग्राम सभा की बैठकों में हाजिर रहने चाहिए। अनेक राज्यों ने ग्राम सभा से भी निचले स्तर पर वार्ड सभा और महिला सभा जैसी व्यवस्था की है जिससे ग्राम सभा में तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व हो सके। इसके बावजूद ग्राम सभा में हाजिरी बहुत कम होती है और खासकर वंचित वर्गों की हाजिरी तो बहुत ही कम होती है। अतः ग्राम सभा में सहभागिता बढ़ाने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिएः

(१) पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठकों की तारीख पहले से तय हो।

(२) बैठक का नोटिस छापा जाए, बांटा जाए और उपयुक्त सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाए। इसमें यह दर्शाया जाए कि ग्राम सभा और वार्ड सभा की जिम्मेदारी योजनाएं बनाने में क्या है।

(३) वार्ड सभा और ग्राम सभा में हाजिरी बढ़ाने के लिए स्व-सहायता समूहों से सम्पर्क किया जाए।

(४) आंगनबाड़ियों, विद्यालयों, सहकारी मंडलियों, ग्रंथालयों, गैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा ग्राम सभा और वार्ड सभा की जानकारी दी जाए।

(५) एनसीसी, एनसएसएस और नेहरू युवक केन्द्रों द्वारा कॉलेजों के विद्यार्थियों की मार्फत अभियान चलाया जाए।

(६) वार्ड के सदस्यों द्वारा प्रत्येक घर की मुलाकात लेकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

(७) प्रत्येक वार्ड सभा के लिए एक पुरुष और एक महिला

शेष पृष्ठ 18 पर

रोजगार व शिक्षाः सामाजिक ऑडिट

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का अमल और ग्रामीण स्तर पर शिक्षा व्यवस्था तथा इसमें पंचायतों की भागीदारी के बारे में उन्नति द्वारा सामाजिक ऑडिट किया गया। इस प्रक्रिया से जो जानकारी प्राप्त हुई और उसके जो परिणाम आए उसकी जानकारी यहां दी गई है। यह लेख यह समझाता है कि किसी भी सामाजिक विकास की योजना के लिए सामाजिक ऑडिट कितना और किस तरह जरूरी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

उन्नति द्वारा उत्तर गुजरात के साबरकांठा जिले की विभिन्न तहसीलों के नागरिक नेताओं की तालीम जब-जब आयोजित की गई, तब-तब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अमल तथा अन्य विकासोन्मुख विषयों के बारे में मुद्दे उपस्थित होते रहे। फलतः इस योजना में सामाजिक अन्वेषण करने के लिए जो प्रावधान हैं उनका उपयोग करने पर विचार किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अमल के संदर्भ में विविध हितधारकों को विविध स्तर पर जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उनकी चर्चा हो और समस्याओं का निवारण आए, इस उद्देश्य से खेडब्रह्मा तथा मोडासा तहसीलों में तहसील स्तर पर नागरिक नेताओं की तहसील निरीक्षण समिति का गठन किया गया।

दंतराल ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में एक नागरिक सवाल उठा रहा है।

खेडब्रह्मा तहसील की पांच ग्राम पंचायतों में सामाजिक ऑडिट किया गया। इसमें निम्न कदमों का समावेश हुआ थाः

(१) राज्य, जिला और तहसील स्तर के सरकारी अधिकारियों को सामाजिक ऑडिट का उद्देश्य समझाया गया और इसमें जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी उसके बारे में जानकारी दी गई।

(२) ग्राम पंचायत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रगति के ऑडिट के लिए ग्राम सभा बुलाए तो उसकी प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार बनती है। अतः यह प्रक्रिया हो, उसके लिए सरपंच और पंचायत के सदस्यों को जागृत किया जाए।

(३) योजना के अमल के बारे में सम्पूर्ण जानकारी एकत्र की गई और तहसील स्तर पर उनका निरीक्षण किया गया।

(४) सामाजिक ऑडिट जिस तारीख को होना था उससे ७ दिन पहले लोगों को जानकारी दी गई।

(५) हमने विशेष ध्यान दिया कि सरपंच स्वयं ग्राम सभा का एजेंडा तय करें।

(६) नागरिक नेताओं के साथ और योजना में रोजगार पाने वाले कामगारों के साथ बैठकें आयोजित कर और कस्बा बैठकें कर योजना के अमल के बारे में प्रावधानों को लेकर लोगों को जानकारी दी गई।

(७) योजना की प्रगति के बारे में जानकारी पंचायत के बाहर और सार्वजनिक स्थलों पर दर्शाई गई। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी।

(८) ग्राम सभा होने से पहले घर-घर घूम कर हाजिरी पत्रक का निरीक्षण भी किया गया।

(९) सरपंच ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्ष बने और कुछ नागरिकों ने ही बैठक का संचालन किया।

(१०) पटवारी ने योजना के अमल के बारे में जानकारी दी।

(११) यह जानकारी भी सार्वजनिक की गई कि प्रत्येक टुकड़ी में किसने मजदूर के रूप में काम किया, किस तारीख को काम किया, कितने दिन काम किया और उन्हें कितना वेतन भुगतान किया गया।

(१२) जब ग्राम सभा हुई तब उस स्थान पर ही एक सूचना पेटी भी रखी गई जिससे जो लोग ग्राम सभा में बोल नहीं पाए वे अपनी समस्याओं को लिखित रूप से प्रस्तुत कर सके।

योजना के अमल की समीक्षा के लिए जब ग्राम सभा हुई तब नागरिकों ने अनेक मुद्दे उठाए। सूचना पेटी में जो लिखित समस्याएं आईं उनके जवाब भी दिए गए। सरपंच, पटवारी और कार्यक्रम अधिकारी ने उनके जवाब दिए। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम संयोजक, तहसील विकास अधिकारी और राज्य परियोजना संयोजक भी इस अवसर पर उपस्थित थे और उन्होंने भी ग्राम सभा को सम्बोधित किया। वेतन, परिवार की व्याख्या, कार्य के स्थल पर जरूरी सुविधाओं, देखरेख समिति के सदस्यों, सतर्कता समिति के सदस्यों, महिलाओं की समस्याओं आदि के बारे में कई सवाल उठाए गए। कुछ समस्याओं के निवारण इस ग्राम सभा में ही हो गए।

शिक्षा

अहमदाबाद जिले की दसक्रोई और धोळका तहसील के नागरिक नेताओं की अभिमुखता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें पंचायतों के प्रतिनिधियों और ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों की भी उपस्थिति रही। शिक्षा समस्याओं के बारे में धीरे-धीरे लोग जागृत होते जा रहे थे। उनका इरादा था कि उनके गांवों में शिक्षा की परिस्थिति सुधरे। इससे वे शिक्षा के बारे में सक्रियता से कुछ करना चाहते थे। सामाजिक अन्वेषण शुरू करने से पहले निम्न प्रक्रिया की गई:

(१) सर्वशिक्षा अभियान सम्बंधी जानकारी विद्यालय में इस तरह रखी जाए कि प्रत्येक जन देख सके।

(२) शिक्षक स्वयं जिम्मेदार बनें और समय पर आएं और जाएं, इसके लिए उनके हस्ताक्षर भी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए।

(३) विद्यालय में सभी सातों कक्षाओं के लड़के-लड़कियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्रस्तुत की गई। यह व्यवस्था

स्कूल के आचार्य ग्राम सभा में स्कूल का विवरण दे रहे हैं।

करने की भी चर्चा की गई कि जो बच्चे अनियमित थे उनके विरुद्ध कदम उठाए जाएं और वे स्कूल से बाहर न निकलें।

दसक्रोई तहसील के तीन और धोळका की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक ऑडिट करने के की गई प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(१) स्कूल के आचार्यों, शिक्षकों, पंचायत के सदस्यों, सरपंचों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और नागरिकों के साथ सामाजिक ऑडिट तथा उसके महत्व के बारे में चर्चा की गई।

(२) सरपंच को ग्राम सभा बुलाने व उसमें सामाजिक ऑडिट का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

(३) नागरिक नेताओं की तीन टुकड़ियां बनाई गईं। प्रत्येक टुकड़ी को शिक्षा के बारे में अलग-अलग जानकारी एकत्र करने तथा उसके बारे में सवाल उठाने का काम सौंपा गया। मध्याह्न भोजन योजना का अमल, सर्वशिक्षा अभियान के तहत लड़कियों को पुस्तकें दी गई हैं या नहीं, उसकी जानकारी, गैर हाजिर रहने वाले बच्चों की सूची की घोषणा आदि के बारे में विशेष सतर्कता बरती गई। एक टुकड़ी ने विद्यालय के प्रत्येक कक्षा की मुलाकात ली और शिक्षकों के पढ़ाने की भी जांच की गई। उन्होंने इसकी भी जांच की कि

शेष पृष्ठ 23 पर

आदिवासियों के भूमि के अधिकार: 'समता' द्वारा संघर्ष

देश के आदिवासी क्षेत्रों में खनन कार्य की अनुमति निजी कम्पनियों को देने से आदिवासी भूमिहीन हो रहे हैं और वे विस्थापित हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ऐस विस्थापन के मामले में गैर-सरकारी संगठन 'समता' द्वारा आदिवासियों को संगठित कर के जो संघर्ष किया गया और अदालतों तक इस संघर्ष का विस्तार किया गया और उसका जो परिणाम आया उसका आलेखन इस लेख में 'समता' के **श्री रवि रेव्वाप्रगडा** द्वारा किया गया है।

प्रस्तावना

देश में संविधान द्वारा आदिवासी क्षेत्रों की निश्चित व्याख्या तय की गई है। संविधान के भाग-१० में धारा-२४४ में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस धारा के अनुसार संविधान में दो अनुसूचियां दी गई हैं:

(१) अनुसूची-५ अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के लिए है। वह असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ कर आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है।

(२) अनुसूची-६ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान करती है।

ये अनुसूचित क्षेत्र कहे जाते हैं और देश के आदिवासी इस क्षेत्र में बसते हैं कि जिनकी आबादी लगभग ८ प्रतिशत है।

१९९२ में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के अनंतगिरी क्षेत्र के आदिवासियों ने 'समता' से सम्पर्क किया। उनकी समस्या थी कि उन्हें उनकी जमीन के स्वामित्व के अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे और उनकी जमीन छोटी खनन कम्पनियों ने हड़प ली थी और वे अपनी ही जमीन पर मजदूरी करते थे। इस क्षेत्र में माइका, लाइम स्टोन, केल्साइट तथा बॉक्साइट की खानें हैं। एक तरफ 'समता' द्वारा आदिवासियों को उनकी जमीन दिलाने के लिए संघर्ष किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ उसी क्षेत्र में खनन कार्य के लिए सरकार निजी कम्पनियों को भाड़े-पट्टे पर जमीनें दे रही थी। 'समता' ने बाद में जिन प्रोजेक्टों के लिए जमीनें भाड़े-पट्टे पर दी जा रही हैं, उनके बारे में लोगों से जानकारी एकत्र करने का अभियान शुरू किया। इस प्रकार यह लड़ाई स्थानीय जमींदारों के खिलाफ नहीं थी, परंतु राज्य के खिलाफ थी। 'समता' द्वारा और 'समता' की मदद से स्थानीय आदिवासियों द्वारा उच्च न्यायालय में अरजियां की गईं और उच्च न्यायालय ने इन अरजियों को रद्द कर दिया। आंध्र प्रदेश में भूमि अंतरण अधिनियम है जो जमीन अंतरण का नियमन करता है। 'समता' की यह दलील उच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं की कि निजी कम्पनियों को जमीन भाड़े-पट्टे पर दी जाए तो वह कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।

संस्था ने बाद में उच्चतम न्यायालय में अरजी की और ११ जुलाई, १९९७ को फैसला आया कि निजी उद्योग भी 'गैर-आदिवासी' व्यक्ति हैं तथा आदिवासी क्षेत्रों में निजी उद्योग को जमीनें भाड़े-पट्टे पर दी गई हों तो उन्हें रद्द किया जाए। चार वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद यह फैसला आया।

इस फैसले में यह भी कहा गया कि यह फैसला देश के संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत तमाम क्षेत्रों के लिए लागू पड़ता है। जिन आदिवासी समुदायों को उचित मुआवजा नहीं मिला या जिनका पुनर्वास नहीं हुआ, वे जमीन और जंगल की खोज में विशाखापट्टनम जिले से पलायन भी करने लगे थे। खोंड नामक आदिवासी जाति के लोग ऊंची टेकिरयों पर बसने के आदी थे। वे यदि अब ऐसी जमीन पर रहें तो वह अतिक्रमण कहलाएगा और वे कानून की नजर में गुनहगार कहलाएंगे। हर वर्ष जंगल विभाग उन्हें परेशान करेगा और ऐसा कहा जाएगा कि वे अस्थायी खेती कर के जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्हें लगातार अपना निवास

स्थान बदलते रहना पड़ता है। इस परिस्थिति में उनका संघर्ष करना जरूरी था।

उच्चतम न्यायालय का फैसला

उच्चतम न्यायालय के फैसले के महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नानुसार हैं:

(१) १९९२ के ७३वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा को आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी जमीन से अलग न पड़ें, यह देखने का अधिकार है और आदिवासियों की जमीन अवैध रूप से ली जाए तो उन्हें लौटाने के लिए उचित कदम उठाने का भी अधिकार है।

(२) आदिवासी स्वयं ही व्यक्तिगत या सहकारी मंडलियों की मार्फत खनन करें और इसमें उन्हें राज्य वित्तीय सहायता करेगा।

(३) जो मुनाफा प्राप्त हो उसकी २० प्रतिशत रकम एक स्थायी कोष में जमा हो और वह वनीकरण व वन क्षेत्र के रखरखाव पर खर्च हो।

(४) अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों और कम्पनियों को जमीन नहीं दी जा सकेगी।

(५) अतः पुराना भाड़ा-पट्टा पुनः नया नहीं किया जा सकेगा या नया भाड़ा-पट्टा नहीं दिया जा सकेगा।

(६) गैर-आदिवासियों, कम्पनियों या भागीदार फर्मों आदि को भी खनन के लिए भाड़ा-पट्टा नहीं दिया जा सकेगा अथवा उन्हें अंतरण नहीं किया जा सकेगा। तथापि खेती-बाड़ी उत्पाद बाजार समितियों जैसी संस्थाओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

(७) सम्पूर्ण प्रतिबंध जमीनों के भाड़े-पट्टे के लिए रखने के लिए सचिवों की समिति और राज्य मंत्रिमंडल की उप समितियों का गठन किया जाए।

(८) इस बारे में मुख्य मंत्रियों, सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों के मंत्रियों और प्रधानमंत्री की परिषद को आदिवासियों की जमीन के बारे में नीतिगत निर्णय लेना होगा।

अदालती फैसले तक की प्रक्रिया

(१) देश के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर काम करने वाले संगठन के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत के समक्ष गुहार लगाना और वह भी बड़े औद्योगिक घरानों के खिलाफ संघर्ष करना, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। उसके पास वहां तक पहुंचने के संसाधन भी नहीं हैं और उससे सम्बंधित विशेषज्ञों का ज्ञान भी नहीं है। इस संघर्ष में इस प्रकार की कई बाधाएं होना स्वाभाविक है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि सरकारी तंत्र द्वारा संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन किया जाता था उसके खिलाफ यह लड़ाई थी। यह लड़ाई वैसे देखें तो औद्योगिक घरानों के खिलाफ नहीं थी।

(२) संस्था ने विकास की नीति के बारे में लड़ने की बजाए इस समग्र केस को संवैधानिक और कानूनी मुद्दा बनाया था। इसीलिए पर्यावरणीय समस्याओं, आदिवासी संस्कृति जैसे संवेदनशील मुद्दों को छुआ ही नहीं गया, क्योंकि न्यायतंत्र उन पर अधिकांशतः ध्यान नहीं देता क्योंकि वह भी समझता है कि ये मुद्दे न्यायतंत्र के कार्यक्षेत्र के दायरे में नहीं आते। अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन का अंतरण किसी भी निजी खनन उद्योग को नहीं किया जा सकता और यदि की जाए तो वह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है, इस बात पर ही इस केस में जोर दिया गया। संस्था की दलील का मुख्य मुद्दा यह था कि कोई निजी उद्योग एक व्यक्ति माना जाए तो उसे आदिवासी व्यक्ति नहीं माना जाए।

(३) आंध्र प्रदेश में जमीन का अंतरण कानून स्पष्टतः आदिवासियों की जमीनों की रक्षा करता है। इस प्रकार का कानून अन्य राज्यों में नहीं है। इसके फलस्वरूप भी संस्था को आदिवासियों की जमीनों के कानूनी रक्षण में मदद मिली।

(४) संस्था द्वारा जो लोक आंदोलन चलाया गया वह मात्र भावनात्मक मुद्दों के आधार पर नहीं, बल्कि कानूनी मुद्दों के आधार पर चलाया गया था। फलस्वरूप राज्य सरकार या पुलिस के लिए लोगों के विरुद्ध केस करना मुश्किल हो गया था। लोग सतत शांतिपूर्ण विरोध करते रहे और कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया। एक मुद्दा यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह क्षेत्र उग्रवादी हिंसा के कारण प्रशासनिक रूप से अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। नक्सलवादियों, गैर-आदिवासी ठेकेदारों और निजी कम्पनियों के खिलाफ लड़ने के साथ-साथ राज्य की शक्ति के खिलाफ भी लड़ना था। इसलिए इस

आंदोलन को पूर्णतः अहिंसक ढंग से चलाने का खास ध्यान रखना था।

(५) यह क्षेत्र काफी सुदूरवर्ती है, मीडिया का ध्यान वहां नहीं जाता, तथा अधिकांशतः बाह्य सम्पर्क बहुत कम होने की परिस्थिति के कारण यह क्षेत्र अलगाव की अनुभूति कर रहा है। इसीलिए अनेक प्रकार के राजकीय भय होने की बात ध्यान में आई। परिणामतः इस पर्वतीय क्षेत्र के बाहर के नागरिक समाज के साथ सतत सम्पर्क स्थापित करने का शुरू से ही निश्चय किया गया। मीडिया, विश्वविद्यालयों, कानूनी विशेषज्ञों, अन्य विशेषज्ञों, अधिकारियों आदि के साथ शुरू से ही घनिष्ठ सम्पर्क किए गए। इस बात पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया कि पत्रकारों की सतत मुलाकातें इस क्षेत्र में हों और वे उनके मीडिया में इस समस्या को प्रस्तुत करें तथा सरकार के रुख के बारे में भी लिखें या रिपोर्ट दें।

(६) उच्च न्यायालय के स्थगनादेश को हटाने में कम्पनियां सफल रहीं। इस दौरान समुदायों ने मजबूत प्रतिकार करने का प्रयास किया। खासकर महिलाओं ने इस अवधि के दौरान जो ट्रक उनकी जमीनों से गुजरते थे उन पर निगरानी रखी और जो जमीनें खाली करने के लिए आदेश दिए गए थे उन जमीनों पर घर बनाने का काम जारी रखा। उन्होंने इस अवधि के दौरान जन सभाओं में जाना, पदयात्रा में भाग लेना, सरकारी कार्यालयों में जाना और पत्रकारों के साथ बातचीत करना जारी रखा। जब उच्चतम न्यायालय ने अंतिम फैसला दिया तब गिरिजन विजयोत्सवम मनाया गया और फिर वहां किसी भी प्रकार के खनन कार्य को नहीं होने दिया गया।

जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार

समता की इस लड़ाई में मुख्य प्रश्न जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर महिलाओं के अधिकारों का मुख्य मुद्दा था। समान्यतः महिलाओं का जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर कानूनी अधिकार नहीं होता। इसीलिए जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत जमीनों का अधिग्रहण किया जाता है तब वे अपना जीवन निर्वाह गंवा देती हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम बहुत अत्याचारी और पुराना है। इसमें राज्य को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए लोगों की जमीनें ले लेने का अधिकार प्राप्त है। खनन कार्य के मामले में अधिकांशतः ऐसा होता है कि जब जमीनें खाली कराने के लिए बुलडोजर आते हैं तभी लोगों को कोई विकास परियोजना शुरू होने का पता लगता है। कई बार तो जमीनें खाली कराई जाती हैं तब बहुत बड़े पैमाने पर बल का उपयोग किया जाता है और पुलिस को हाजिर रखा जाता है।

नियमानुसार सार्वनजिक सुनवाइयां आयोजित होती हैं, परंतु वे बहुत ही पक्षपाती होती हैं और अंधाधुंध होती हैं। स्थानीय प्रशासन कम्पनियों के साथ मिल गया लगता है। परियोजनाओं को मंजूरी देना तय हो गया हो और साथ ही साथ उनके खिलाफ कोई आपत्ति प्रस्तुत करनी योग्य है ही नहीं, यह इन सुनवाइयों की कार्यवाही से मान लिया गया प्रतीत होता है। कई बार तो सरकार की मंजूरियां लिए बगैर ही खनन कम्पनियां खनन काम शुरू कर देती हैं। इसके अलावा उनका खनन कार्य उनके भाड़े-पट्टे के क्षेत्र और उसकी अवधि से भी अधिक खिंचता है। खनन कार्य का सार्वजनिक उद्देश्य क्या हो सकता है, यह समझना आवश्यक हो जाता है। ऐसा लगता है कि समता की उपरोक्त लड़ाई से यह बुनियादी सवाल पैदा हुआ है।

उपसंहार

देश में आदिवासियों की आबादी ८ प्रतिशत होने के बावजूद उनकी कोई दृश्यमान आवाज नहीं दिखती या फिर उनकी कोई राजनीतिक शक्ति स्थापित नहीं हुई है। आरक्षण और सकारात्मक भेदभाव की नीतियों ने उनकी आर्थिक स्थिति, साक्षरता या कौशल्य की स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिणाम अर्जित नहीं किया लगता है। परिणामतः बाह्य समाज और खासकर महाकाय कम्पनियों द्वारा तथा कानून का अमल करने वाले प्रशासकों द्वारा जो आक्रमण उन पर किया जाता है उसका सामना करने की शक्ति भी उनमें बहुत कम है।

विकासोन्मुख परियोजनाओं के कारण उनका विस्थापन होना तथा जमीन और जीवन निर्वाह गंवा देना बिल्कुल सामान्य बात हो गई है। इसके अलावा यह भी बार बार कहा जाता है कि विकास के

लिए तो उन्हें इतना बड़ा भोग देना ही चाहिए। यह भी बार-बार कहा जाता है कि इस संदर्भ के साथ देखें तो समता की इस लड़ाई के फलस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया वह आदिवासियों के अधिकारों को कानूनी रक्षण देगा, ऐसी उम्मीद जगी है। जो संगठन आदिवासी उत्थान के लिए काम करते हैं वे तथा आदिवासी स्वयं अब इस फैसले का उपयोग ऐसी समस्याओं से लड़ने में कर रहे हैं। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके परिणामस्वरूप संविधान की पांचवीं अनुसूची में ही फेरबदल करने के लिए कम्पनियां सरकार पर दबाव डाल रही हैं। इस प्रयास का जबर्दस्त विरोध करने की आवश्यकता है।

पांचवीं अनुसूची के सुधार के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान के नाम से एक नेटवर्क भी अस्तित्व में आया है। यह नेटवर्क ऐसे संगठनों का है जो पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और आदिवासी समुदायों तथा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों में इस अनुसूची के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रयासरत हैं। आदिवासियों के वर्तमान अधिकारों का इस फैसले के परिणामस्वरूप रक्षण होने की संभावनाएं पैदा हुई हैं। वैसे देखें तो इस फैसले ने सरकारों और नागरिक समाज के खिलाफ बड़ी चुनौती भी पैदा की है। जमीनों पर आदिवासियों के अधिकारों की वैधता के बारे में ही कई मूलभूत सवाल पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है, परंतु साथ ही साथ विकास की नींव और उसका तत्व क्या है, इस बारे में भी इस फैसले ने सवाल पैदा किए हैं। ऐसी संभावना बनी हैं कि देश के प्राकृतिक संसाधनों की आकारणी तथा उत्पादन सम्बंधी हमारे ख्याल और साथ ही साथ उसके बारे में ढांचे सम्बंधी हमारी धारणाएं भी इस फैसले के कारण बदलें। फैसला ऐसा कहता है कि हमारे विकास और अर्थशास्त्र की पर्यावरणीय चिरंतनता और उपभोग की प्राथमिकता, तरीके, सामाजिक संतुलन तथा आकांक्षाओं के बारे में गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। यह सबसे बड़ी चुनौती है कि राज्य की नीतियों और राज्य के कार्यों के बीच का अंतर कैसे दूर हो।

पृष्ठ 12 का शेष भाग

संयोजक की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाए। इन संयोजकों को तहसील व पालिका स्तर पर तालीम दी जाए।

(८) ग्राम सभा और वार्ड सभा के लिए उपयुक्त ढांचा बनाया जाए और यह देखा जाए कि उसमें छोटे-छोटे समूहों में चर्चा हो।

(९) इन बैठकों की हाजिरी, योजना व प्रस्तावों के बारे में विवरण के दस्तावेज उपयुक्त ढंग से रखें जाएं।

(१०) ग्राम पंचायत स्तर की योजना बनाते वक्त ग्राम पंचायत को निम्नानुसार मुद्दों को ध्यान में लेना चाहिए:

(क) कर, जन योगदान और उपभोगी शुल्क द्वारा स्थानीय स्तर पर संसाधन एकत्र करने का प्रयास।

(ख) सेस, कर्ज, बीओटी आदि द्वारा धन एकत्र करने का प्रयास।

(ग) स्थानीय दाताओं, कम्पनियों, प्रवासी भारतीयों और गैर-सरकारी संगठनों से धन की प्राप्ति के प्रयास।

(११) प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपनी जरूरतों के अनुसार संसाधनों का आवंटन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पंचायतों को यह भी प्रयास करना चाहिए कि इन संसाधनों का उपयोग यथासंभव श्रेष्ठ तरीके से हों। एक बार पंचायत स्तर पर जरूरतें तय हो जाने के बाद यह तय किया जाए कि प्रत्येक जरूरत के लिए धन किस तरह प्राप्त होगा।

(१२) ग्राम पंचायत को भी पंचवर्षीय योजना तैयार करनी है और उससे प्रत्येक वर्ष की वार्षिक योजना तैयार करनी है।

उपसंहार

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष इस प्रकार स्थानीय सरकारों को आयोजन की प्रक्रिया में शामिल करना चाहता है। अधिकांश राज्य सरकारें पंचायतों व पालिकाओं को अपनी योजनाएं लागू करने वाली संस्थाओं के रूप में अभी देखती हैं, तब यह आवश्यक है कि इस कोष के अमल के लिए जिला आयोजन समितियां गठित हों और सक्रिय बनें। पंचायतों और पालिकाओं को इन समितियों के बारे में अधिक जागरूक बनाने और राज्य सरकारों को नींद से जगाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सामग्री

उत्तर गुजरात के भूजल प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण मार्गदर्शिका

दो भाग में तैयार की गई इस मार्गदर्शिका का मुख्य उद्देश्य भूजल सम्बंधित समस्याओं से निपटने के लिए स्थानीय क्षमता का निर्माण करना है। इस मार्गदर्शिका के प्रथम भाग में भूजल और भूमि प्रबंधन के बारे में जानकारी, भूमि प्रबंधन के विकल्प जैसे मुद्दों का समावेश किया गया है। इसमें फव्वारा पद्धति से आया परिवर्तन, टपक सिंचाई और बागवानी, आधुनिक खेती आदि जैसे विषयों को लेकर ६ केस स्टडी भी दी गई हैं।

जैविक खेती का अर्थ समझाया गया है और साथ ही साथ अळसिया की खाद, फसल फेरबदल और महिलाओं की भागीदारी जैसे विषयों के बारे में चर्चा की गई है और उनसे कैसे फायदे हो सकते हैं, उन पर भी चर्चा की गई है। यह भी जानकारी दी गई है कि प्रशिक्षु कौन-कौन से खेल खेलें जिससे इस कठिन विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। पहले भाग में भूजल नीचे जाने के जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं उन्हें एक केस स्टडी के साथ समझाया गया है। लघु सिंचाई पद्धति तथा इसमें भी सामूहिक सिंचाई पद्धति के उपयोग का वर्णन किया गया है।

मार्गदर्शिका के दूसरे भाग में प्रशिक्षण का अर्थ सहभागी शिक्षा का अर्थ, परम्परागत प्रशिक्षण व सहभागी प्रशिक्षण के बीच अंतर, प्रशिक्षण में उपयोग किए जाने वाले दृश्य-श्रव्य माध्यमों तथा पद्धतियों, प्रत्यायन और उसके लिए सामग्री, नेतृत्व, हिमायत, सार्वजनिक हिमायत की सुसंगति, महिलाओं का समाज में स्थान आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। प्रथम भाग की तरह दूसरे भाग में भी कुल ६ भाग हैं और इन भागों में चित्रों व फोटो के साथ विस्तृत जानकारी दी गई है।

इस मार्गदर्शिका की उल्लेखनीय खासियत यह है कि यह सरल गुजराती भाषा में तैयार की गई है। यह मार्गदर्शिका किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। भूजल के साथ सम्बंधित ऐसी समस्याओं के निवारण के लिए किसान समुदाय के साथ सहयोग कर परियोजनाओं की रचना व अमल करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों, व्यावसायिक संस्थाओं और समुदाय-आधारित संगठनों के लिए मार्गदर्शिका उपयोगी साबित हो सकती है।

लेखन और संकलनः अदिति देसाई, प्रवीण पंड्या, सुभ्रा अलमौला, फाल्गुनी जोशी। प्रकाशकः इंटरनेशनल वॉटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, फील्ड ऑफिस, आणंद, २००७.

विकास में हमारे हमसफर

'सहभागी शिक्षा केन्द्र' की सहयोगी संस्थाओं के विशिष्ट प्रयासों का यह हिन्दी में दस्तावेज है। इसमें सबसे पहले नागरिक नेता की व्याख्या दी गई है। खासकर यह समझाया गया है कि नागरिक नेता विकास के प्रेरक हैं और वे समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समुदाय तथा शासन के बीच कड़ी बनते हैं। विविध योजनाओं, पंचायतों और ग्राम सभाओं में जिस प्रकार नागारिक सहभागी बन सकते हैं व उसके कैसे परिणाम आ सकते हैं, इस बारे में समझाया गया है।

विविध लेखकों ने इन विषयों की चर्चा निम्नानुसार की हैः

(१) सामाजिक परिवर्तन में नागरिक नेताओं की भूमिका।
(२) नागरिक नेताओं की विकास प्रेरक के रूप में भूमिका।
(३) पंचायत सूचना केन्द्र के संचालक और नागरिक नेता की भूमिका।
(४) विकासोन्मुख हस्तक्षेप में नागरिक नेतृत्व।
(५) सामाजिक परिवर्तन के वाहक के रूप में नागरिक नेता।
(६) पंचायतों में नागरिक नेताओं की भूमिका।
(७) नागरिक नेता के बारे में ख्याल।

भारतीय समाज में नागरिक नेता का ख्याल हमेशा समाज के केन्द्र में रहा है, क्योंकि वैसे लोग तमाम वर्गों के सामान्य नेता होते हैं। ये नेता सभी के सुख-दुःख में शामिल होते हैं तथा सभी का ध्यान रखते हैं। ये नेता विकास के लिए प्रेरक की भूमिका निभाएं तो पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व पैदा हो सकता है और शासन को अधिक जिम्मेदार बनाया जा सकता है। समाज का निर्माण करने में ऐसे नागरिक नेता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह बात ध्यान में रख कर इस पुस्तिका में नागरिक नेता का ख्याल स्पष्ट किया गया है और साथ ही साथ इस बारे में स्थानीय संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों ने स्थानीय नेतृत्व को सफल तरीके से आगे बढ़ाने में जो प्रयास किए गए हैं उनका आलेखन किया गया है। नागरिक नेतृत्व स्थानीय स्तर पर विकास में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है उसके उदाहरण इस पुस्तिका से प्राप्त होते हैं और वे अन्य नागरिक नेताओं के लिए प्रेरणादायक हैं। प्रकाशकः सहभागी शिक्षा केन्द्र, सीतापुर रोड, लखनऊ-२२७२०८. फोनः ०५२२-२७३४८८८ ईमेलः info@sahbhagi.org

निर्माण कार्य में पंचायत की जिम्मेदारी

इस पुस्तिका में सचित्र जानकारी दी गई है कि ग्राम पंचायत किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य में कैसे शामिल हो व किस प्रकार के काम करे। इसमें निम्न मुद्दे शामिल हैं:

(१) सामूहिक सम्पत्ति के निर्माण के लिए आयोजन।
(२) आयोजन की सरल सीढ़ियां।
(३) निर्माण कार्य कैसे हो सकता है।
(४) माल-सामान की खरीदारी और जांच।
(५) निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण।

ग्राम पंचायत सार्वजनिक निर्माण यानी सामूहिक उपयोग के निर्माण की जिम्मेदारी से प्रगाढ़ रूप से जुड़ी होती है। अतः सार्वजनिक निर्माण का आयोजन, ग्रामीणों की जरूरतों के अनुसार निर्माण, वित्तीय स्रोत, प्रशासनिक प्रक्रिया, निर्माण स्थल का चयन, टिकाऊ व मजबूत निर्माण आदि विषय इसमें महत्वपूर्ण बनते हैं। इस पुस्तिका में निर्माण का प्रकार व उसका खर्च, निर्माण के नक्शे, ग्राम पंचायत में निविदा प्रक्रिया, निविदा सूचना, निविदा जारी करने की तैयारी, ठेकेदार से प्राप्त करने योग्य जानकारियां निविदा भरने की समयावधि, निविदा खोलने की प्रक्रिया, निविदा की स्वीकृति, निविदा शर्तें, निविदा के प्रकार, ठेकेदार के प्रकार आदि के बारे में सरल भाषा में समझाया गया है।

किसी भी निर्माण के वक्त विभिन्न सामग्री की खरीदारी करना आवश्यक होता है। इस बारे में चार मुद्दे ध्यान में रखने जरूरी हैं:

(१) माल-सामान की गुणवत्ता।
(२) माल-सामान की मात्रा।
(३) माल-सामान का मिश्रण।
(४) माल-सामान का आयोजन।

इन मुद्दों के संदर्भ में इस पुस्तिका में लकड़ी, पत्थर, सीमेंट, रेत, कंक्रीट ब्लॉक, कपची, लादी, मिजागरे, कब्जे, सरिये आदि के निर्माण में उपयोग करने जानकारी दी गई है। कोई भी सार्वजनिक निर्माण सामूहिक सम्पत्ति होती है। इसी प्रकार उस निर्माण मे उपयुक्त सामग्री भी सामूहिक सम्पत्ति है। अतः इन दोनों का ध्यान कैसे रखा जाए और निर्माण प्रक्रिया का निरीक्षण कैसे किया जाए तथा पंचायत की जो भूमिका इसमें होनी चाहिए उसकी जानकारी पुस्तिका में दी गई है। खासकर पंचायत के सदस्यों, सरपंच व पंचायत समितियों के सदस्यों के लिए निर्माण सम्बंधी यह पुस्तिका सम्पूर्ण मार्गदर्शन देती है।

यह पुस्तिका 'उन्नति विकास शिक्षण संगठन' के सहयोग से प्रकाशित की गई है। प्रकाशक : राज्य ग्राम विकास संस्था, सरदार पटेल राज्य प्रशासन संस्थान, सैटेलाइट रोड, अहमदाबाद-३८० ०१५. फोन ०७९-२६७४९७१५.

पंचायत बताए सुर, अतिक्रमण हों दूर

यह एक चित्रवार्ता है। उल्लास नामक एक गांव की सरपंच तेजीबेन जिस तरह गोचर व अन्य सार्वजनिक जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराती हैं उसके बारे में कहानी इसमें दी गई है। ग्राम पंचायतों के लिए गोचर या गांव की अन्य सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण एक जटिल समस्या है। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी ग्राम

पंचायत की है। अतिक्रमणकारी बाहर का व्यक्ति हो तो पंचायत के लिए अतिक्रमण हटाना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि उनके सामाजिक या राजनीतिक हितों पर जोखिम नहीं आता। इससे उनके सामाजिक सम्बंधों पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिसमें पंचायतों ने बाहर के अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण हटा दिए थे।

अतिक्रमण हटाने के लिए पंचायत को क्या-क्या करना चाहिए और इसके लिए किन दस्तावेजों की जरूरत है तथा पंचायत को उसके लिए जो कार्यवाही करनी चाहिए उस बारे में भी जानकारी दी गई है। इस चित्रवार्ता में बताया गया है कि गुजरात पंचायत अधिनियम - १९९३ के प्रावधानों का उपयोग कैसे हो सकता है और पंचायत, पुलिस व अन्य सत्ताधिकारियों की जिम्मेदारी कैसे अदा हो सकती है।

पुस्तिका के अंत में यह संदेश दिया गया है: गुजरात अधिनियम १९९३ की धारा १०८ के अनुसार राज्य सरकार पंचायत को गांव की खुली जगह, परती भूमि, गोचर, रस्ते, पुल, कुएं, तालाब, पेड़ आदि ग्राम पंचायत को सौंप सकती है, यानी गांव के संसाधनों के लिए ग्राम पंचायत ट्रस्टी की भूमिका निभाती है तथा उसकी रक्षा और प्रबंध करती है। स्वामित्व राज्य सरकार का होता है और वे (कलक्टर) सार्वजनिक उद्देश्य के लिए पंचायत को संभालने का अवसर देने के बाद जमीन वापस ले सकते हैं। पंचायत द्वारा कोई संशोधन किया गया हो तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम-१८९४ के अनुसार उसका मुआवजा दिया जा सकता है।

यह पुस्तिका 'उन्नति विकास शिक्षण संगठन' के सहयोग से प्रकाशित की गई है। प्रकाशक: राज्य ग्राम विकास संस्था, सरदार पटेल राज्य प्रशासन संस्थान, सैटेलाइट रोड, अहमदाबाद-३८० ०१५. फोन ०७९-२६७४९७१५.

'हरियाली' में पंचायतों की भूमिका

२७ जनवरी, २००३ को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना को ग्रामीण स्तर पर हरियाली लाने वाला महत्वपूर्ण कार्य बताया गया था। साथ ही इस योजना के आयोजन, अमल और संचालन का कार्य ग्रामीण स्तर पर पंचायत को सौंपा गया था। देश में पंचायतों को सक्षम करने की प्रक्रिया के तहत इस संशोधन को महत्वपूर्ण सोपान माना गया है। ग्राम पंचायतों को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जरूरी वित्तीय आवंटन तथा प्रशासनिक अधिकार दिए गए। इसके अलावा मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए तहसील पंचायतों को क्रियान्वयन संस्था के रूप में काम सौंपा गया। इससे पूर्व की योजना में ग्राम संगठन की जो भूमिका थी वह भूमिका ग्राम सभा को अंतरण कर दी गई। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि ग्राम विकास की प्रक्रिया में पंचायतें सक्रिय सहभागी हों व विकासोन्मुख संस्था के रूप में अग्रसर हों।

इस पुस्तिका में प्राकृतिक संसाधनों के समन्वित विकास का महत्व, उसकी व्यवस्था व अंत में जलस्राव क्षेत्र विकास के लिए हरियाली परियोजना का विवरण दिया गया है। साथ ही योजना से सम्बद्ध राज्य सरकार के परिपत्रों का संकलन भी दिया गया है। यह पुस्तिका सरल भाषा में एक महत्वपूर्ण परियोजना की बात करती है। उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी पंचायतों पर है। अर्थात् पंचायत प्रतिनिधियों के लिए यह सूचना उपयोगी होगी और उनकी भूमिका निभाने में सहायक होगी।

इस पुस्तिका में प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन का महत्व तथा उसकी व्यवस्था, जल संग्रह दृष्टिकोण के उद्देश्य, जल संग्रह विकास के लिए होने वाले मुख्य कार्य, सहभागी दृष्टिकोण, लोककेन्द्री सहभागी आयोजन की प्रक्रिया, हरियाली परियोजना के अमल के लिए ढांचा, परियोजना के अमल के लिए संस्था व जलस्राव विकास टुकड़ी, ग्राम पंचायत, सरपंच तथा पटवारी या ग्राम सभा की भूमिका आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके अलावा ग्राम स्तर की जलसंचय समितियों के कार्यों, जलस्राव विकास के लिए किए जा सकने वाले कार्यों आदि को भी सरल शब्दों में समझाए गए हैं। इतना ही नहीं हरियाली जलसंचय कार्यक्रम के तहत खोले जाने वाले बैंक खाते, प्रोजेक्ट क्रियान्वयन समिति का गठन, जलस्राव क्षेत्र विकास समिति का गठन आदि सम्बंधी सरकारी परिपत्रों की प्रतियां भी इसमें प्रकाशित की गई हैं।

इस समग्र योजना को पर्यावरणीय संवर्धन में पंचायत की भूमिका और प्रदूषण निवारण में पंचायत के कार्य के संदर्भ में समझाया गया है।

यह पुस्तिका उन्नति विकास शिक्षा संगठन के सहयोग से प्रकाशित की गई है। प्रकाशक : राज्य ग्राम विकास संस्था, सरदार पटेल राज्य प्रशासन संस्थान, सैटेलाइट रोड, अहमदाबाद-३८० ०१५. फोन ०७९-२६७४९७१५.

बदलाव के संकेत

सूचना अधिकार अधिनियम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नामक दो महत्वपूर्ण कानून भारत में लागू हुए हैं। उनके प्रभावी उपयोग से एक तरफ पंचायती राज संस्थाएं गांव के लोगों की गरीबी दूर करने के लिए मजबूत बन सकती हैं, तो दूसरी तरफ शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए वे संस्थाएं अधिक प्रभावी कार्य भी कर सकती हैं। पारदर्शिता आएगी तो उत्तरदायित्व आएगा।

गरीबी निवारण के लिए स्थानीय स्तर पर इन दोनों कानूनों का उपयोग जिस तरह किया गया है और ग्राम पंचायतें इसमें जो भूमिकाएं निभाती हैं उनके २६ उदाहरण इस हिन्दी पुस्तिका में दिए गए हैं। ग्राम पंचायत, सरपंच, पंचायत सदस्य और अन्य अधिकारी सूचना अधिकार का उपयोग कर पंचायतों की शासन व्यवस्था में जिस तरह सुधार लाते है उनकी रोचक और रोमांचक कहानियां इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई हैं।

सरकारी योजनाओं का अमल अधिक बेहतर करने के लिए पारदर्शिता अनिवार्य है अर्थात् योजनाओं का अमल कैसे हुआ, उसकी जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पंचायतों की है और अन्य सम्बंधित सरकारी विभागों की है, यह बात इन कहानियों में उजागर होती है। ये यह भी साबित करती हैं कि वास्तव में स्थानीय स्तर पर विकास के लिए धन की कमी नहीं है, और प्राप्य धन का अधिक बेहतर उपयोग करने की जानकारी भी यह पुस्तिका देती है।

इस संदर्भ में यह पुस्तिका एक प्रकार से प्रक्रिया का दस्तावेजीकरण है। पंचायत द्वारा अमल में लाई जाने वाली योजनाएं अधिक बेहतर ढंग से चलें, राशन की दुकान से पर्याप्त व समय पर अनाज प्राप्त हो, आंगनबाड़ी अधिक बेहतर चलें, विद्यालय में शिक्षक बेहतर पढ़ाएं आदि सूचना अधिकार के उपयोग द्वारा संभव हो सकती है इसकी कल्पना भी शायद ही की जा सकती थी। इन उदाहरणों से देखा जा सकता है कि यह कल्पना आज साकार हुई है। भारत का लोकतंत्र स्थानीय स्तर पर अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में सूचना अधिकार अधिनियम ने जा भूमिका निभाई है उसका ख्याल भी इन उदाहरणों से आता है।

प्रकाशकः सहभागी शिक्षा केन्द्र, सीतापुर रोड, लखनऊ-२२७२०८. फोनः०५२२-२७३४८८८ ईमेलः info@ sahbhagi.org

घरेलू हिंसा कानूनः जागृति, ढांचा और प्रभाव

२० जून, २००६ को अहमदाबाद में अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में उपरोक्त विषय पर जो कार्यशाला आयोजित की गई उसके दस्तावेज के रूप में यह पुस्तिका तैयार की गई है। इसमें तीन भाग हैं:

(१) कार्यशाला की भूमिका।
(२) समस्याएं व प्रस्तावित ढांचा।
(३) संदर्भ सूची।

प्रथम भाग में कार्यशाला के उद्देश्य के बारे में स्पष्टता की गई है। कार्यशाला का उद्देश्य घरेलू हिंसा सम्बंधी कानून के नीति-नियमों और मानदंडों पर चर्चा करना था। इसमें गुजरात की ५५ स्वैच्छिक संस्थाओं ने भाग लिया था और कानून का अमल सघन तरीके से करने पर विस्तार से चर्चा की गई थी। दूसरे भाग में इस कानून के इतिहास, उसकी मुख्य लाक्षणिकताएं, उसका संदर्भ तथा घरेलू हिंसा के स्वरूप के बारे में हुए अध्ययनों के निष्कर्षों को शामिल किया गया है। इस कानून में जो मुख्य बाते हैं पहुंच, व्याख्याएं, अधिकारों की पहचान, राहत के प्रावधान और अमल की प्रक्रिया। इन तमाम बातों पर चर्चा की गई।

गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में घरेलू हिंसा के स्वरूप तथा व्यापकता के बारे में एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के निष्कर्ष भी इस कार्यशाला में प्रस्तुत किए गए। यह चर्चा की गई कि इस कानून के अमल के लिए क्या-क्या हुआ है और क्या-क्या करने की जरूरत है।

इस कार्यशाला में मुफ्त कानूनी सेवाओं, कानून का अदालती ढांचा, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा राज्य की जिम्मेदारी पर भी चर्चा की गई और उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है।

यह कार्यशाला गुजरात राज्य महिला आयोग, जेंडर रिसोर्स सेंटर और कच्छ-सौराष्ट्र नेटवर्क ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमैन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। प्राप्ति स्थानः जेंडर रिसोर्स सेंटर, बैरेक सं. १, पॉलीटेक्निक कैम्पस, आंबावाडी, अहमदाबाद-३८० ०१५. फोनः ०७९-२६३०१०४३

ज्ञान गंगा

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संदर्भ में लोगों को सरल भाषा में जानकारी देने के लिए यह सचित्र पुस्तिका हिन्दी में तैयार की गई है। इसमें रक्त की कमी, गर्भवती महिलाओं की देखभाल आदि जैसी महिला समस्याओं पर विस्तृत जानकारी दी गई है। जैसे गर्भवती महिलाओं को टिटेनस का इंजेक्शन कब लेना चाहिए, गर्भवती महिला की नियमित जांच, सुरक्षित प्रसूति के लिए जरूरी संभाल, गर्भावस्था के खतरे, प्रसूति पूर्व की तैयारियां, प्राकृतिक गर्भपात, समय से पहले जन्मे बच्चे की देखभाल आदि के बारे में जानकारी दी गई है।

माता-पिता को बच्चों के बारे में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसके अलावा आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों और बच्चों को होने वाले छह जान लेवा रोगों तथा उनमें लिए जाने वाले टीकों के बारे में भी बताया गया है। टीकाकरण के संदर्भ में जो भ्रम हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। विटामिन 'ए' की कमी से बचने तथा अंधत्व निवारण के प्रति बरती जाने वाली सावधानियां भी दर्शाई गई हैं।

निमोनिया, दस्त-उल्टी, चेचक आदि जैसे रोगों के विरुद्ध बच्चों को कैसे सुरक्षा दी जा सकती है, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए क्या करना चाहिए, पीलिया और लू, मलेरिया तथा मोतियाविंद, क्षय तथा कैंसर, एड्स और रक्तपित्त आदि के बारे में जानकारी दी गई है। इसके अलावा यह पुस्तिका इस बारे में भी रोशनी डालती है कि रक्तदान किस तरह उपयोगी है। ऑक्सफाम और उर्मूल समिति द्वारा संयुक्त रूप से यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है।

प्राप्ति स्थानः उर्मूल समिति, सेक्टर-४, आदर्शनगर, पो. बॉ. नं. १२, फलौदी-३४२ ३०१, जिला जोधपुर, राजस्थान।

पृष्ठ 14 का शेष भाग

बच्चे अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों से कुछ पढ़-लिख सकते हैं या नहीं।

(४) उपरोक्त जांचों की रिपोर्टें तथा स्कूल के आचार्य द्वारा तैयार की गई स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट भी ग्राम सभा में पढ़ी गई।

(५) लोगों ने कई सवाल उठाए और चर्चा के अंत में उनका हल लाने का प्रयास भी किया गया।

उपसंहार

सामाजिक ऑडिट सम्बंधी ग्राम सभा की बैठकें इस तरह जागरूकता लाने वाली और शिक्षा की प्रक्रिया बन गईं। इससे यह स्थापित हुआ कि ग्राम पंचायत को स्वयं जिम्मेदारी उठानी चाहिए। सामाजिक ऑडिट का उद्देश्य यही था कि ग्राम पंचायत और उसके पदाधिकारी किसी भी योजना के अमल के बारे में आत्मविश्वास से भरपूर बनें और नागरिक नेता अधिक सक्षम बनें तथा योजना के दिशा-निर्देशों का उचित रूप से अमल हो। यह भी सामाजिक ऑडिट से सिद्ध हुआ कि शिक्षा क्षेत्र में भी ग्राम शिक्षा समितियां, पंचायतें और नागरिक नेता सक्रिय बनें तो स्कूली शिक्षा अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी तथा प्रभावी बनेगी।

गतिविधियाँ

अनिल शाह ग्राम विकास पुरस्कार-२००७ और ग्राम संगठन पुरस्कार-२००७ का नामांकन

'डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर' द्वारा ग्राम विकास के क्षेत्र में मिसालरूपी कार्य करने वाली और पूर्व में जिन्हें कोई महत्वपूर्ण विख्यात पुरस्कार न मिला हो उन कार्यरत संस्था और व्यक्तियों के लिए ग्राम विकास पुरस्कार योजना का आयोजन किया जाता है। २००५ से ग्राम संगठनों के उम्दा कार्य को बढ़ावा देने और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए ग्राम संगठन पुरस्कार की योजना भी तय की गई है।

२००७ के लिए ग्राम विकास पुरस्कार और ग्राम संगठन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। आपकी जानी-मानी योग्य संस्था/व्यक्तियों के कार्यों के बारे में विवरण ग्राम विकास पुरस्कार-२००७ के सूचना-पत्र में भेजने का आग्रह किया जाता है। नामांकन के सूचना-पत्र १५ अक्टूबर, २००७ तक भेजें।

(१) अनिल शाह ग्राम विकास पुरस्कार

ग्राम विकास पुरस्कार के तहत चयनित पुरस्कार विजेता व्यक्ति/स्वैच्छिक संस्था को ५०,००० रुपए का नकद पुरस्कार, ट्रॉफी तथा प्रमाण-पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार का समग्र संचालन गुजरात के प्रतिष्ठित कर्मशीलों की एक पुरस्कार निर्णायक समिति तथा 'डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर' संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

पुरस्कार के लिए योग्य उम्मीदवार का चयन करने के लिए अनेकों माध्यमों तथा ग्राम विकास क्षेत्र में प्रवृत्त व्यक्तियों व संस्थाओं की ओर से नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्ति या संस्थाएं अपने लिए स्वयं भी नामांकन भेज सकते हैं। इन नामांकनों के आधार पर निर्णायक समिति मजबूत उम्मीदवारों की एक सूची बनाती है जिनकी मुलाकात निर्णायक समिति द्वारा नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों द्वारा स्वयं ली जाती है। चुनिंदा उम्मीदवारों से सीधे मुलाकात के बाद तैयार होने वाली रिपोर्ट के आधार पर निर्णायक समिति पुरस्कार विजेता का चयन करती है।

(२) ग्राम विकास फेलोशिप

इस वर्ष वित्तीय समिति ने पुरस्कार के अलावा ग्राम विकास क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले आशास्पद व्यक्ति को ग्राम विकास फेलोशिप देने का भी प्रस्ताव किया है। इस फेलोशिप के तहत चयनित व्यक्ति को उनकी सेवाओं के सम्मान स्वरूप तथा उन्हें अधिक बेहतर काम करने प्रोत्साहित करने के लिए फेलोशिप दी जाएगी। फेलोशिप के तहत प्राप्त राशि का उपयोग ग्राम विकास क्षेत्र में विशिष्ट सज्जता प्राप्ति के लिए प्रशिक्षण, शैक्षणिक प्रवास, साहित्य या साधन की खरीद आदि में हो सकेगा।

(३) ग्राम संगठन पुरस्कार

ग्राम संगठन पुरस्कार के लिए स्वैच्छिक संस्था, सरकारी विभागों और अन्य स्रोतों द्वारा नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। इस नामांकन से निर्धारित मानदंडों के आधार पर एक संक्षिप्त सूची तैयार की जाएगी। संक्षिप्त सूची में चयनित संगठनों का ग्राम संगठन आधारित विकास क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं आगाखां ग्राम समर्थन कार्यक्रम (भारत), एन. एम. सद्‌गुरु वॉटर एण्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन और डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर (डीएससी) के ग्राम संगठन के अनुभवी प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से स्थल मुलाकात और परामर्श द्वारा योग्य आकलन किया जाएगा।

इन तीन संस्थाओं द्वारा गठित ग्राम संगठन इस पुरस्कार के लिए उम्मीदवारी नहीं करेंगे। इस मूल्यांकन के आधार पर ग्राम विकास पुरस्कार चयन समिति द्वारा पुरस्कार प्राप्त संगठनों का अंतिम चयन किया जाएगा। बाद में यह पुरस्कार चयनित संगठन को ग्राम विकास पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा।

पुरस्कार की राशि में पहला पुरस्कार २० हजार रुपए, दूसरा पुरस्कार १० हजार रुपए का है। प्रत्येक पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिह्न भी होगा। नामांकन के लिए ग्राम संगठन के क्षेत्र इस प्रकार हैं: जलस्राव क्षेत्र विकास, सहभागी वन प्रबंधन, सहभागी जल प्रबंधन, सामूहिक संसाधन प्रबंधन।

सम्पर्क: डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, गवर्नमेंट ट्यूबवेल के पास, बोपल, अहमदाबाद-३८० ०५८. फोन: ०२७१७-२३५९९४, २३५९९५, २३५९९८. फैक्स: ०२७१७-२३५९९७. ईमेल: dsc@dscindia.org

विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर 'संयुक्त राष्ट्र' के प्रस्ताव को भारत की मान्यता

१ अक्टूबर, २००७ को भारत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को मान्यता दी है। इसके साथ कुल ७ देशों ने उसे मान्यता दी है। हालांकि, १३ और देशों की मान्यता मिलने पर यह प्रस्ताव लागू हुआ कहलाएगा। इसके अलावा १५ देशों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या ११७ हो गई है। 'संयुक्त राष्ट्र' का २१वीं सदी का यह पहला प्रस्ताव है और विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों के बारे में यह उसका पहला प्रस्ताव है।

भारत के विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते वक्त कहा कि भारत विकलांग व्यक्तियों के अवरोधों को दूर करने को प्रतिबद्ध है। 'संयुक्त राष्ट्र' स्थित भारत के मिशन की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि भारत का संविधान गर्भित ढंग से तमाम लोगों के लिए समावेशी समाज स्थापित करने का इरादा व्यक्त करता है।

सामाजिक सुरक्षा विधेयक

केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री द्वारा राज्यसभा में सितम्बर में असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक पेश किया गया है। वह सामाजिक सुरक्षा की तमाम योजनाओं को कानूनी समर्थन देता है। इन योजनाओं में आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा स्वास्थ्य बीमा योजना का समावेश भी होता है। इस वर्ष १५ अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना की घोषणा की गई। इस कानून में जो ११ योजनाएं शामिल की गई हैं उनमें इन तीनों योजनाओं का समावेश हो जाता है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना तैयार की गई है और अगले पांच वर्षों के दौरान छह करोड़ परिवारों को इस योजना के तहत लाया जाएगा। कुल मिला कर इस कानून के फलस्वरूप ३० करोड़ कामगारों को लाभ होगा। उन्हें उनके विशिष्ट पहचान क्रमांक वाला स्मार्ट कार्ड देने का प्रावधान भी किया गया है। उन्हें चिकित्सा सेवाएं देने के लिए सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग भी किया जाएगा। लाभार्थियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए नकद राशि का उपयोग नहीं करने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं देने पर भी इस कानून में ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस कानून द्वारा प्रत्येक परिवार को वार्षिक ३०,००० रुपए तक के खर्च वाली स्वास्थ्य संभाल प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा।

प्रथम वर्ष के दौरान इस योजना के तहत ७०० करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। पांचवें वर्ष के अंत में यह खर्च बढ़ कर ३५०० करोड़ रुपए होने की संभावनाएं हैं, जब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम छह करोड़ परिवार शामिल कर लिए जाएंगे। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ६५ वर्ष से अधिक उम्र के तमाम व्यक्तियों को दिया जाएगा। उन्हें हर माह २०० रुपए पेंशन दी जाएगी और राज्य सरकारों को इसमें २०० रुपए जोड़ने को कहा जाएगा। इस योजना के तहत हर वर्ष ४००० करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि खर्च होगी। इस योजना का प्रशासन ग्राम विकास मंत्रालय करेगा।

'आम आदमी बीमा योजना' के तहत देश के तमाम ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को शामिल किया जाएगा। उन्हें जीवन बीमा और विकलांगता बीमा दिया जाएगा। यदि दुर्घटना में मृत्यु हो या वे स्थायी रूप से विकलांग हों तो उन्हें ७५,००० रुपए तक की

राशि प्राप्त होगी।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में सूचना अधिकार का उपयोग

वडोदरा की 'सहियर' संस्था की डॉ. तृप्ति शाह ने सूचना अधिकार अधिनियम का उपयोग कर गुजरात सरकार द्वारा राज्य में चलाए गए महिला सशक्तिकरण अभियान में हुए खर्च की जानकारी मांगी गई थी। प्राप्त हुई जानकारी बहुत ही दिलचस्प है। मांगी गई सूचना निम्नानुसार है:

(१) २२ या अधिक जिलों में आयोजित महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों में आज तक के खर्च का जिलेवार विवरण।

(२) इन सम्मेलनों में महिलाओं को लाने-ले जाने के खर्च का जिलेवार विवरण।

(३) सम्मेलनों में आने वाली महिलाओं को दिए जाने वाले फूड पैकेट के खर्च का जिलेवार विवरण।

(४) सम्मेलन की तैयारी के लिए पोस्टर, बैनर, होर्डिंग तैयार करने में हुए खर्च का जिलेवार विवरण।

(५) सम्मेलन के प्रचार के लिए मीडिया में दिए गए विज्ञापनों पर हुए खर्च का जिलेवार विवरण।

(६) इन सभाओं को सम्बोधित करने आने वाले मुख्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा अन्य मंत्रियों और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों व उनके साथ के तमाम अधिकारियों के आवागमन-स्वागत-सुरक्षा पर हुए खर्च का जिलेवार विवरण।

(७) इन सभाओं के लिए गांव-गांव से महिलाओं को लाने के लिए तमाम स्तर पर हुई बैठकों और जिन सरकारी अधिकारियों को काम में लगाया गया उनका जिलेवार विवरण।

(८) इस महिला सशक्तिकरण के नाम पर प्रत्येक जिले में हुए सम्मेलनों के आयोजन में पैसा जहां से आता है उसका विवरण।

(९) यह खर्च जिस बजट से खर्च किया जाता है उसका विवरण।

डॉ. तृप्ति शाह द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात की जागृत महिलाओं के रूप में डॉ. तृप्ति शाह और सुश्री दीपाली घेलाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को खुला पत्र ११ अप्रैल, २००७ को लिखा था और फैक्स द्वारा उन्हें भेजा था। इस पत्र में गुजरात सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के नाम पर गुजरात के प्रत्येक जिले में महिला सम्मेलन शुरू किया गया और उसके द्वारा सरकार महिलाओं के बारे में काफी कुछ कर रही होने का प्रचार खूब जोर-शोर से किया जा रहा था, इसमें हुए खर्च के बारे में कुछ बुनियादी जानकारियां मांगी गई थीं।

यह सूचना मांगने का विचार इसलिए किया गया कि गुजरात की महिलाओं व समग्र समाज को छूने वाले दो महत्वपूर्ण कानूनों का अमल करने का तंत्र बनाने का समय या बजट नहीं है, ऐसी बातें गुजरात सरकार करती है, तब महिलाओं के नाम पर ऐसे मेले लगा कर एक ही दिन में हर जिले में लाखों और राज्य में करोड़ों रुपए खर्च करने का बजट कहां से आता है?

बुनियादी प्रश्नों जैसे बेटियों की घटती संख्या के विरुद्ध कन्या भ्रूण हत्या रोकने का कानून पीसीपीएमडीटी एक्ट-१९९६ से लागू है और महिला सशक्तिकरण का एक बुनियादी कानून पारिवारिक हिंसा अधिनियम-२००५ अक्टूबर-२००६ में लागू होने के बावजूद अभी तक उसके प्रभावी अमल का तंत्र बनाने का समय मुख्य मंत्री या सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री को नहीं मिला है।

महिला संगठनों के बार-बार लिखित में कहने, गांव-गांव में चले हस्ताक्षर अभियान और रूबरू मिलकर जताने के बावजूद सरकार की ओर से एक ही जवाब आता है कि महिला सशक्तिकरण के इस बुनियादी कानून का अमल कराने के लिए अतिरिक्त नियुक्ति

के पैसे सरकार के पास नहीं हैं। काफी दबाव डालने के बाद अनेक जिम्मेदारियां जिन समाज सुरक्षा अधिकारियों पर हैं उन्हें इस कानून का अतिरिक्त बोझ देने का परिपत्र सरकार द्वारा २१ मार्च, २००७ को जारी किया गया, परंतु आज तक इस कानून के तहत शिकायतें करने के बावजूद उनकी ओर से उल्लेखनीय कदम नहीं उठाए गए हैं।

बुनियादी सवाल यह है कि यदि गुजरात सरकार के पास कानून का अमल कराने के पैसे नहीं हैं तो फिर महिला सशक्तिकरण के नाम पर प्रत्येक जिले में हो रहे सम्मेलनों के लिए पैसे कहां से आते हैं? वे किस बजट से खर्च किए जाते हैं? सभाओं में भाषण सुनने से महिला सशक्तिकरण किस तरह होगा?

यह बुनियादी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त नहीं होने पर सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के तहत महिला सशक्तिकरण अभियानों में हुए खर्च का विवरण प्राप्त करने के लिए डॉ. तृप्ति शाह ने १८ जुलाई, २००७ को अरजी की थी। इस अरजी के जवाब में १२ जिलों से कुछ सवालों के जवाब भेजे गए हैं। अन्य जिलों के जवाब अभी तक मिले नहीं हैं।

इन जवाबों में मुख्य मंत्री, मंत्रियों, जन-प्रतिनिधियों और अधिकारियों के आवागमन-स्वागत-सुरक्षा आदि पर हुए खर्च का विवरण नहीं दिया गया। इस पर मुख्य मंत्री कार्यालय को पुनः पत्र लिखा गया है, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, परंतु जो जवाब मिले हैं वे भी चौंकाने वाले हैं।

तमाम जिलों में महिला आर्थिक विकास निगम की ओर से महिला दिवस समारोह के नाम पर इन सम्मेलनों के लिए बीस लाख रुपए का आवंटन किया गया था। हालांकि अभी तक मिले जवाब के अनुसार १२ में से ९ जिलों में २० लाख रुपए से अधिक खर्च मात्र फरासखाना, महिलाओं को लाने-ले जाने के वाहन खर्च, फूड पैकेट, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग और विज्ञापनों पर ही किया गया है।

९ में से २ जिलों में उपरोक्त उद्देश्य के लिए ४५,००,००० रुपए से अधिक और तीन जिलों में ३५,००,००० रुपए से अधिक खर्च किया गया है। इसके अलावा मुख्य मंत्री व उनके साथ पधारे अन्य मंत्रियों के आवागमन का खर्च, सुरक्षा खर्च और उनकी तैनाती में रहे अधिकारियों का खर्च... जैसे खर्चों की सूचना तो अभी दी ही नहीं गई है।

सम्पर्कः डॉ. तृप्ति शाह, ३७, पत्रकार कॉलोनी, तांदळजा रोड, वडोदरा-३९० ०२०. फोनः ०२६५-२३२०३९९

भावी कार्यक्रम

'प्रिया' द्वारा सतत शिक्षा के कार्यक्रम

'प्रिया' के सतत शिक्षा केन्द्र की स्थापना २००५ में की गई। यह केन्द्र उसकी एक शैक्षणिक विंग के रूप में काम करता है। सहभागिता और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय केन्द्र की शुरूआत की गई है। दूर शिक्षा पद्धति से विभिन्न पाठ्यक्रमों के बारे में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जाता है। जो विकासोन्मुख क्षेत्र में काम करते हैं वे लोग किसी निश्चिय विषय के बारे में कुछ अधिक सीखना चाहते हों उनके लिए ये कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इसमें यह उद्देश्य रखा गया है कि वे अपने क्षेत्र में विशिष्टीकरण प्राप्त करें। वे सहभागी संशोधन की प्रक्रियाओं और विभावना द्वारा अपना कौशल्य वे बढ़ा सकें तथा अपने निश्चित कार्यक्षेत्र के बारे में समृद्ध बन सकें यह ख्याल भी इसमें रखा गया है। पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैः

(१) प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत पढ़ाई के अंतरराष्ट्रीय पहलूः

इस पाठ्यक्रम में कुछ सिद्धांत, विचारक और विभावनाएं शामिल की गई तथा इसमें वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलने वाली चर्चाओं के मुद्दे भी शामिल किए गए हैं।

(२) सहभागी निगरानी और मूल्यांकन में अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोणः

इस पाठ्यक्रम में निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया तथा आयोजन

प्रक्रिया के बीच सम्बंध तथा उसके अर्थ की बुनियाद पर अन्य मुद्दों की चर्चा का इरादा है। परम्परागत दृष्टिकोण तथा सहभागी दृष्टिकोण के बीच अंतर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(३) नागरिक समाज का निर्माणः

इस पाठ्यक्रम में नागरिक समाज का अर्थ उसका मूल, उसके कार्यों तथा उसके अर्थघटनों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। नागरिक समाज के संगठनों, राज्य व बाजार के बीच सम्बंध जिस तरह काम करते हैं वे इस पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(४) व्यवसायी स्वास्थ्य और सुरक्षाः

इस पाठ्यक्रम में विकासशील देशों में व्यवसायगत जोखिमों के विविध स्वरूपों, व्यवसायगत स्वास्थ्य की स्थिति और वास्तविकता के बारे में ज्ञान दिया जाता है। प्रतिरोध, नियंत्रण तथा निगरानी के तरीके भी इसका मुद्दा है। बाल मजदूरों और महिला मजदूरों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।

(५) भारत में पंचायती राज संस्थाएं (स्थानीय स्वशासन):

७३वें संविधान संशोधन के संदर्भ में और राज्यों के पंचायत अधिनियमों के संदर्भ में पाठ्यक्रम पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा करता है। जिस तरह विकेन्द्रीकरण स्थापित हो सकता है उसका विश्लेषण किया जाता है।

(६) समाज में महिला-पुरुष भेदभाव की समझः

पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में महिलाओं की जो भूमिकाएं निर्धारित हो गई हैं और उसके कारण जो भेदभाव बने हैं, उसकी चर्चा सामाजीकरण की प्रक्रियाओं तथा निजी व सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हिंसा के संदर्भ में किया जाता है।

उपरोक्त ६ पाठ्यक्रमों से आखरी दो पाठ्यक्रम अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषा में किए जा सकते हैं, जबकि प्रथम चार पाठ्यक्रम मात्र अंग्रेजी भाषा में किया जा सकते हें।ट

पाठ्यक्रम का विवरण

समयावधिः १५.१०.२००७ से १५.०१.२००८
योग्यताः स्नातक की उपाधि
स्वरूपः प्रमाण पत्र कार्यक्रम
पद्धतिः दूर शिक्षा
क्रेडिटः ८ क्रेडिट, अध्ययन के २४० घंटे
शुल्कः रु. ५००० अथवा १५० अमरीकी डॉलर

पाठ्यक्रम के मुख्य लक्षण

१. स्वयं समझी जा सकने वाली पाठ्यक्रम सामग्री।
२. विषय सम्बंधी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ।
३. इंटरनेट आधारित चर्चा।
४. तीन लिखित स्वाध्याय के आधार पर मूल्यांकन।
५. प्रत्येक विद्यार्थी को उपयोगी परियोजना कार्य।
६. प्रत्येक व्यक्ति की गति और अवसर के अनुसार पढ़ाई।

सहयोग

इन पाठ्यक्रमों के लिए निम्न संस्थाओं के साथ सहयोग किया जाता हैः (१) कनाडा का विक्टोरिया विश्वविद्यालय (२) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ.) की सी.आइ.एस. इकाई।

सम्पर्कः

'प्रिया' सतत शिक्षा, ४२, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली, ११० ०६२. फोनः ०११-२९९५६९०८, २९९६०९३१/३२/३३. फैक्सः ०११-२९९५५१८३. ईमेलः education@pria.org

विचार के सभी पाठकों को दीपावली की शुभकामनाएं

पिछले तीन महीनों के दौरान 'उन्नति' द्वारा निम्नानुसार गतिविधियां की गईं :

१. नागरिक नेतृत्व और शासन

(क) पंचायती राज संस्थाओं का मजबूतीकरण

गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अमल का पांच पंचायतों में सामाजिक ऑडिट किया गया। इसमें साबरकांठा जिले की खेडब्रह्मा तहसील की दंतराल, देलवाडा, दीधिया, परोया और चीखला ग्राम पंचायतें शामिल हैं। सामाजिक ऑडिट के लिए नागरिक नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों का समावेश तय किया गया। पहली बार दो सामाजिक ऑडिटो के बाद एक वीडियो दस्तावेज तैयार किया गया और वह तमाम सम्बंधित अधिकारियों को दिखाया गया। दूसरे तीन गांवों में भी वह वीडियो फिल्म दिखाई गई। इसी प्रकार अहमदाबाद जिले की धोळका तहसील की दो और दसक्रोई तहसील की तीन ग्राम पंचायतों में शिक्षा की स्थिति के बारे में सामाजिक ऑडिट किया गया। 'सूचना अधिकार पहल' के सहयोग से सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के बारे में अहमदाबाद जिले की दसक्रोई व धोळका तहसीलों में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए और उसमें नागरिक नेताओं की सहभागिता उल्लेखनीय थी। राज्य के २५ जिलों की ८५० ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का दो दिवसीय पांचवां अभिमुखता कार्यक्रम सैटकॉम द्वारा चलाया गया और इसमें प्राकृतिक संसाधन संचालन, पर्यावरण संरक्षण तथा सामुदायिक धरोहरों के निर्माण में पंचायतों की भूमिका के बारे में चर्चा की गई। यह तालीम स्पीपा तथा एसआइआरडी तथा गुजरात सरकार के सहयोग से आयोजित की गई। लड़कियों की शिक्षा में पंचायतों की भूमिका पर एक लघु फिल्म तैयार की गई और आपदा के प्रतिकार की तैयारी में पंचायतों की भूमिका पर भी एक फिल्म तैयार की गई। दोनों फिल्में सैटकॉम तालीम के दौरान दिखाई गईं।

२१ से २३ अगस्त, २००७ के दौरान १६ संगठनों के २१ सहभागियों के लिए नागरिकता तथा शासन के बारे में प्रशिक्षकों की तालीम आयोजित की गई।

राजस्थान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के सहयोग से चलने वाली परियोजना जून-२००७ में पूरी हुई। पिछले तीन वर्ष की वार्ड सभा, ग्राम सभा और पंचायत बैठकों की कार्यवाहियों की सूचना का एकत्रीकरण और दस्तावेजीकरण ८ पंचायत संदर्भ केन्द्रों के प्रभाव के अध्ययन के साथ यह कार्य पूरा किया गया। महिला चेतना मंच की सुश्री निर्मला बुच और सीडब्ल्यूडीएस के नारायण बनर्जी ने यह मूल्यांकन अध्ययन किया। यूएनडीपी की सुश्री सोनाली आनंद तथा सुश्री जुथिका बनर्जी ने भी नवीनतम प्रक्रियाओं के दस्तावेजीकरण के लिए क्षेत्रीय इलाकों का दौरा किया।

गुजराती में 'पंचायत जगत' और हिन्दी में 'स्वराज' त्रिमासिक समाचार पत्रों का प्रकाशन नियमित रूप से किया गया है और सम्बद्ध राज्य में निर्वाचित प्रतिनिधियों में उनका वितरण किया गया है।

(ख) शहरी शासन

गुजरात में यूआइडीएसएसएमटी और आइएचएसडीपी के कार्य तथा सुधार के अमल को लेकर नगर पालिका अधिकारियों व निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए दो दिवसीय एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था शहरी स्थानीय निकाय आयोजन, अमल और डिजाइन के चरणों में शामिल हों, सुधार को आगे बढ़ाना तथा आयोजन की प्रक्रिया को नागरिकों की भागीदारी वाली बनाना, इस पर सामूहिक कार्य करने को बढ़ावा देना। १३ नगर पालिकाओं के ३३ प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इसमें नगर पालिका अध्यक्ष, मुख्य

अधिकारी, अभियंता, नगर सेवक और प्रशासनिक अध्यक्ष शामिल थे। जीयूडीएम, सेप्ट और जीएमएफबी के साथ मिल कर सुधार और शासन तथा ढांचागत क्षेत्र की योजनाओं के अमल पर चर्चा की गई जिनका अमल राष्ट्रीय शहरी पुनरुत्थान मिशन द्वारा किया जा रहा है। गुजरात शहरी विकास निगम के साथ मिल कर नगर पालिकाएं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ठोस कचरे का प्रबंध करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आइएचएसडीपी के तहत डिजिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए बावळा नगर पालिका के अभियंता व मुख्य अधिकारी के साथ बैठक की गई। इस बैठक का उद्देश्य इस प्रक्रिया को जानना, शहरी स्थानीय निकाय व परामर्शक की भूमिका जानना तथा रिपोर्ट तैयार करने के लिए तकनीकी पहलुओं को समझना था।

राजस्थान में हम जोधपुर शहर की १० बस्तियों में सघन तरीके से काम कर रहे हैं। इन बस्तियों के नागारिकों के साथ नियमित रूप से बैठकें की गईं। इन बैठकों का उद्देश्य था कि उनके साथ बुनियादी सेवा सम्बंधी विभिन्न समस्याओं पर समुदाय स्वयं आयोजन-अमल करे तथा नागरिक स्वयं भागीदार हों। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ १० परिवारों को दिए गए। इसके लिए भी प्रयास किए गए कि बुनियादी सेवाओं की निगरानी समुदाय करे। इसके तहत नागरिक नेताओं के साथ एक अभिमुखता बैठक की गई। इसका उद्देश्य बुनियादी सेवाओं की समस्याएं समझने और रिपोर्ट कार्ड के लिए निर्देशक तैयार करना था। भील भखार तथा ढब्बू बस्तियों में से सूचना एकत्र की गई है।

२. सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण

(क) दलित अधिकार

पश्चिम राजस्थान में 'दलित अधिकार अभियान' के सदस्यों के लिए नेतृत्व निर्माण के लिए कई तालीमें आयोजित की गई। इनमें ११ तालीमें पुरुष नेताओं के लिए ११ महिला नेताओं के लिए की गईं। इनमें ८७६ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस तालीम के दौरान समुदाय में जागृति, स्थानीय स्तर पर हिमायत, दलितों व महिलाओं के साथ सम्बंधित कानूनों आदि पर चर्चा की गई। अत्याचारों व भेदभाव सम्बंधी १६ मामलों में समर्थन दिया गया। इसमें महिलाओं के प्रति अत्याचार के पांच मामले भी शामिल हैं। दो परिवारों को ४९ बीघा जमीन प्राप्त हुई है। इसके अलावा पेंशन योजना, पीओपी, कार्यशाला योजना आदि जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ २४ परिवारों को दिलाए गए। १५ सदस्यों की एक टुकड़ी की शैक्षणिक मुलाकात गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के लिए आयोजित की गई। इसका उद्देश्य यह समझना था कि इन राज्यों में दलित संगठन की प्रक्रिया किस प्रकार की है और उनका संगठनात्मक ढांचा कैसा है। इसमें दलित अधिकार अभियान के क्षेत्रीय संयोजकों और मुख्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

दलित अधिकार अभियान के तहत शामिल नहीं किए गए क्षेत्रों - जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, रेवदर और बिलारा - में दलित कर्मशीलों और संस्थाओं के बीच सम्बंध स्थापित करने के लिए एक अभियान चलाया गया। दलितों की स्थिति समझने के लिए दलित कर्मशीलों व संस्थाओं के साथ बैठकें की गईं तथा दलितों के संगठन की प्रक्रिया भी समझी गई। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए दलित विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए जालौर में हुए सम्मेलन को समर्थन दिया गया। जोधपुर में 'बाप' के लिए दलितों का एक सम्मेलन हुआ और बिलोरा में सिर पर मैला ढोने सम्बंधी समस्याओं पर भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी की स्थिति समझने का कार्य करने के बाद दो गांवों में पानी की सुरक्षा की योजनाएं समुदाय द्वारा तैयार की जा रही हैं। इसमें टंकी निर्माण शामिल है।

(ख) महिलाओं को मुख्य धारा में लाना

दलित अधिकार अभियान के ३४ सहभागियों के लिए महिला समस्याओं पर संवेदनशीलता लाने के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला

आयोजित की गई। सहभागियों में महिला क्षेत्रीय संयोजक, सामुदायिक नेता और समुदाय के सदस्य शामिल थे जो स्वयं ही महिलाओं को उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक करने के लिए संस्था में काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यह भी था कि वे उनके कार्य को अधिक बेहतर समझें। आगाखां फाउंडेशन-अफगानिस्तान के २२ सदस्यों के लिए दो सप्ताह की एक शैक्षणिक मुलाकात का आयोजन किया गया। इसमें अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधि और आगाखां फाउंडेशन के कर्मचारी शामिल थे। महिलाओं की समस्याओं व महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के संदर्भ में ये क्षेत्रीय मुलाकातें आयोजित की गईं। इसमें जो तीन संगठन महिलाओं को सक्षम बनाने का कार्य करते हैं और उन्हें मुख्य धारा में लाने में जो प्रवृत्त हैं उनसे मुलाकात की गई। अहमदाबाद में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के विषय पर एक बैठक का आयोजन ग्राम विकास के कार्यक्रमों के समन्वय के रूप में किया गया। इस कार्यक्रम में सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि और शैक्षणिक संस्था के प्रतिनिधि मौजूद थे।

सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी मजबूत बनाने को लेकर हो रहे एक शोध अध्ययन में भाग लेने के लिए हमने नई दिल्ली में आयोजित दक्षिण एशियाई कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में आइडीआरसी से अनुदान प्राप्त संगठनों ने भी अपने अनुभव प्रस्तुत किए। क्षेत्रीय स्तर पर छोटे-छोटे समूहों में चर्चाएं कर सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया पूरी की गई है और केस स्टडी भी तैयार की गई हैं।

केरल में एसडीसी-केपडेक द्वारा आयोजित दो दिवसीय एक कार्यशाला में हमने भाग लिया। केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और 'सखी रिसोर्स सेंटर' द्वारा विकेन्द्रीकरण के लिए चल रही प्रक्रिया में महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए हो रहे प्रयास समझने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। महिलाओं की स्थिति का अध्ययन पंचायत स्तर पर करने के लिए एक पद्धति इस कार्यक्रम के समर्थन से विकसित की गई है। महिला उन्मुखी आयोजन, बजट तथा ऑडिट सम्बंधी कार्य ४३ ग्राम पंचायतों में विकसित किया गया है और तत्सम्बंधी परीक्षण किया गया है।

(ग) विकलांगता समस्याओं को मुख्य धारा में लाना

अहमदाबाद के सेंटर फॉर एन्वायर्नमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी (सेप्ट) द्वारा स्थापत्य कला के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को व्यापक डिजाइन के बारे में एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम दिया जाता है। इसके लिए एक्सेस रिसोर्स ग्रुप का सहयोग लिया जाता है। आरंभ में व्यापक डिजाइन के विचार के बारे में ३२ विद्यार्थियों के लिए एक अभिमुखता कार्यक्रम रखा गया। सेप्ट परिसर में ही विद्यार्थियों द्वारा एक्सेस ऑडिट किया गया और इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस समूह द्वारा अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ में भी ऐसा ही एक्सेस ऑडिट किया जा रहा है।

इस समूह द्वारा विकलांग व्यक्तियों की पहुंच बढ़ाने के लिए जो विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और जो प्रवृत्तियां उनके द्वारा की जाती हैं उनके बारे में 'इंडिया टुडे' सामयिक की पूर्ति के रूप में अगस्त-२००७ के संस्करण में एक लेख प्रकाशित किया गया। विकलांग व्यक्तियों सम्बंधी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर कार्यशाला में हमने भाग लिया। इस कार्यशाला में गैर-सरकारी संगठनों, सरकार और नगारिक समाज के संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस प्रस्ताव का अमल वैश्विक रूप से जैसे हो सकता है तथा विकलागों के अधिकारों का रक्षण जैसे हो सकता हो उस बारे में कार्यशाला में चर्चा की गई। गुजरात में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों व सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए भविष्य दर्शन तथा दिशा के बारे में की गई एक समूह चर्चा में एक विशेषज्ञ व्यक्ति के रूप में भाग लिया। हैंडीकैप इंटरनेशनल, अंधजन मडल तथा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त उपक्रम से इसका आयोजन किया गया।

(घ) चिरंतन जीवन निर्वाह को प्रोत्साहन

पिछले तीन माह के दौरान गुजरात के कच्छ जिले के वांढ प्रदेश में १० स्वयं सहायता समूहों द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में बचत, आंतरिक ऋण, बैंकों से ऋण, स्वास्थ्य, जीवन निर्वाह, बीमा और आपत्ति प्रतिकार की समुदाय आधारित तैयारी पर चर्चा की गई। सिंधी समुदाय द्वारा जिस ज्यामिति का उपयोग किया जाता है उसके आधार पर चादरें तैयार करने के लिए नई डिजाइन तैयार की गई। सादड़ी और चादरें तैयार करने में भरत काम वाले वर्गाकार टुकड़ों के जत्थे की बिक्री के लिए भी प्रयास किए गए। तैयार वस्तुओं की बिक्री के लिए दिल्ली में 'रंगसूत्र' नामक कम्पनी के साथ बातचीत चल रही है।

३. आपदा जोखिम संचालन के सामाजिक निर्धारक

पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, गांव के स्वयंसेवकों, स्वयं सहायता समूहों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की दो टुकड़ियों को सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों में चलाये गए राहत और पुनर्वास कार्य को समझने के लिए उड़ीसा की शैक्षणिक मुलाकात पर भेजा गया। इसके अलावा बाढ़ से नुकसान के आकलन के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के भी दौरे किए गए। इस प्रक्रिया के दौरान स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राहत के लिए सहयोग दिया गया। हम 'सहभागी शिक्षा केन्द्र' लखनऊ के साथ मिल कर मालतेसियर इंटरनेशनल के सहयोग से लम्बी अवधि तक काम करने के लिए आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा संचालन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा आपदा के समुदाय-आधारित प्रतिकार की तैयारी को लेकर जो दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं थी उसमें हम सहभागी बने थे। इस बारे में एक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

४. ज्ञान संसाधन केन्द्र

गुजरात और राजस्थान के २४ संगठनों के लिए सहभागी तालीम के बारे में प्रशिक्षकों की दो तालीमें आयोजित की गईं। इसमें १६ महिलाओं सहित ४४ सहभागियों ने हिस्सा लिया। इस संसाधन केन्द्र में ५७४३ पुस्तकें हैं और पिछले तीन माह के दौरान इसमें १६८ पुस्तकें शामिल की गई हैं। आंतरिक उपयोग के लिए इस सूचना का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। पंचायती राज, विकलांगता और अन्य विषयों पर ४ सीडी, ५७ पोस्टर, २७२ पुस्तकें और ११० मैन्युअल मांगने पर विविध संगठनों को दिए गए थे और उनका उपयोग कार्यशालाओं में किया गया था।

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

खसरा नं.650, राधाकृष्णपुरम, लहेरिया रिसोर्ट के पास, पाल-चौपासनी बाई पास लिंक रोड, जोधपुर - 343 008, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइनः रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवादः** पुष्पा शाही

मुद्रकः बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-66612967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।